

Santlal
15-12-09

Request-78

KR 9267/09

13-9-99

IV/3210
IV/3210
34
15-12-09
15/12/09
15/12/09

471

O.S.D.(Litigation)

May kindly have perusal of the memo of writ petition no. 67222 of 2009 Sanjay Kumar & others Vs. High Court of Judicature at Allahabad & others (placed below).

According to the writ petition, it appears that the petitioners are presently posted as Civil Judge (Jr. Div.) in different Judgeships. The petitioners were appointed w.e.f. 2006 in Judicial Service. Prior joining in Judicial Service, they were posted in different departments of pensionable post. The respondent no. 2 denied the claim of the petitioners for pension vide order dated 28.10.2009, 10.06.2009 & 30.07.2009. Aggrieved thereby the petitioners have filed the instant writ petition with the prayer to the Hon'ble Court to direct the respondents to account previous State pensionable Services of the petitioners and treat their subsequent appointments dated 26.05.2006 having pensionable posts and to give all such service benefits accordingly.

The aforementioned writ petition was taken up on 10.12.2009, when the Hon'ble Court has been pleased to direct the respondents to file counter affidavit in the matter within 4 weeks.

If approved by the learned Registrar General, the Registrar (Budget) and the Joint Registrar (Services) may be requested to direct the officers concerned to provide the comprehensive parawise narrative alongwith facts & material in the matter, within a week, so that the same may be sent to the learned Special Counsel, High Court, Allahabad, for the preparation of an effective counter affidavit in the matter?

32 4094
URGENT
S.O. Admin. M/A
S. R. (M)
15-12-09 "A"

Pamphlet
16-12-09

JR(M)


15/12
Regg. (B)
15.12.09

A.
Alkand
14-12-09

S. K. Bose
Section Officer,
Litigation Cell
11.12.2009

Registrar General

May like to approve as proposed at 'A'


O.S.D. (Litigation)
11.12.2009

S.O. Admin A
Misc file has been submitted
on 5-11-09 bar counting
of previous services
16-12-09

J.O.
Request 98

ak

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

INDEX

IN

CIVIL MISC WRIT PETITION NO. _____ OF 2009

(UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA)

(DISTRICT:-ALLAHABAD)

Sanjay Kumar Singh & others.

-----Petitioners

VERSUS

Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through the Registrar
General, & others

-----Respondents

SN	Prescribed papers	Dated	Annex	Pages
1	List of dates & events.			1-2
2	Civil Misc. Stay Application U/S 151 of C.P.C.			3-4
3	Writ Petition under Article 226 of the Constitution of India.			5-13
4	A true copy of appointment letter	30.8.01	1	14-16
5	A true copy of appointments	26.5.06	2	17-20
6	A true copy of impugned order	28.10.09	3	21-23
7	A true copy of impugned order	10.6.09	4	24-26
5	A true copy of impugned order	30.7.09	5	27-29
6	A true copy of order	12.1.08	6	30-32
7	Affidavit			33-
8	VAKALATNAMA			34-

7/12/09

Dated: 6 /December-2009

Indra Raj Singh
(INDRA RAJ SINGH)

Advocate
Counsel for the petitioners
Chamber No.89,
High Court, Allahabad

Request-79

1

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

DATES AND EVENTS

IN

CIVIL MISC WRIT PETITION NO. _____ OF 2009
(UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA)
(DISTRICT:-ALLAHABAD)

Sanjay Kumar Singh & others. -----Petitioners

VERSUS

Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through the Registrar
General. & others -----Respondents

SL	DATES	EVENTS
1	10.9.01 to 16.6.08	The petitioner no.1 Sanjay Kumar Singh worked on the post of Sub-Inspector in Uttar Pradesh Police, after regular selection and appointment, carrying pensionable post.
2	21.12.04 to 14.6.06	The petitioner no.2 Arvind Kumar Yadav worked on the post of Lekha Parikshuk in Uttar Pradesh Co-operative Societies and Panchayats after regular selection and appointment, carrying pensionable post.
3	01.11.98 to 21.06.06	The petitioner no.3 Vijaya Bahadur Yadav worked on the post of Assistant Prosecuting officer in the State of Uttar Pradesh after regular selection and appointment, carrying pensionable post.
4	2003	The U.P. Public Service Commission, Allahabad advertised the vacancies for selection on the posts of Civil Judge [Jr. Division] having pensionable posts against that the petitioners applied for and participated in the regular selections and in pursuance thereof they were selected for appointments.
5	01.04.05	The State Government amended the U.P. retirement benefits Rules 1961 and deprived for pension to subsequent appointees.

L

6	26.5.06	The State Government appointed the petitioners on the posts of Civil Judge [Jr. Division], against the existing vacancies having pensionable posts, advertised in the year-2003 by the U.P. Public Service Commission, Allahabad and the selections made in lieu thereof.
7	13.6.06	The Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad published a notification for posting of petitioners on the posts of Civil Judge [Jr. Division] and posted them on the said posts.
8	12.01.08	The State Government allowed the claim of pensionable posts of one Shri Awadhesh Pandey appointed with the petitioners on the post of Civil Judge [Jr. Division] on account of previous services of the state having pensionable post.
9	28.10.09	The respondent no.2 denied the claim of the petitioner no. 1 Sanjay Kumar Singh for pensionable post.
10	10.6.09	The respondent no.2 denied the claim of the petitioner no. 2 Arvind Kumar Yadav for pensionable post.
11	30.7.09	The respondent no.2 denied the claim of the petitioner no. 3 Vijay Bahadur Yadav for pensionable post.
12		Hence the present writ petition filed by the petitioners.

Dated: 6 November-2009

Indra Raj Singh
 (INDRA RAJ SINGH)
 Advocate
 Counsel for the Petitioners
 Chamber No.89,
 High Court, Allahabad

request-78

3

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CIVIL MIS.C.STAY APPLICATION NO. OF 2009
(UNDER SECTION 151 OF C.P.C.)

ON BEHALF OF PETITIONERS

(DISTRICT:-ALLAHABAD)

1. Sanjay Kumar Singh, son of Shri Thakur Prasad Singh residence of Village- Parasia Bhikham, Post-Markara, District- Deoria at present posted as Civil Judge [Jr. Division] Tanda at Ambedkar Nagar.
2. Arvind Kumar Yadav son of Raja Ram Yadav, r/o village Shahabuddinpur, Post- Kerakat, District- Jaunpur at present posted as Civil Judge [Jr. Division] Chunar Mirzapur.
3. Vijay Bahadur Yadav son of Late Ram Lawat Yadav residence of Village Kotha Katai, Chewar Post-Sarain, District - Azamgarh at present posted as Civil Judge [Jr. Division] Etawah.

-----Petitioners

VERSUS

1. Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through the Registrar General.
2. State of U.P. through its Special Secretary U.P. Lucknow.
3. State of U.P. through its Secretary finance U.P. Lucknow.
4. State of U.P. through its Secretary Karmik Anubhag Lucknow.
5. The Director, Pension Directorate 8th Floor Indra Bhawan, Lucknow.

-----Respondents

To,
The Hon'ble the Chief Justice and His other Hon'ble companion Judges of the aforesaid Court.

The humble petition of the above named Petitioner most respectfully showeth as under.

That the full facts and law have been mentioned in the accompanying writ petition for kind perusal of this Hon'ble Court.

L

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble court may graciously be pleased to allow this application and issue ad-interim mandamus commanding the respondents to account previous State-pensionable Services of the petitioners and treat their subsequent appointments dated-26.5.2006 (Annexure-2) having Pensionable posts and to give all such service benefits accordingly during the pendency of the writ petition or be pleased to pass such other and further orders as this Hon'ble Court may deem fit and proper to meet the ends of the justice.

Dated: 6 /December-2009

Indra Raj Singh
(INDRA RAJ SINGH)

Advocate

*Counsel for the Petitioners
Chamber No.89,
High Court, Allahabad

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

****_****

CIVIL MISC WRIT PETITION NO. _____ OF 2009
(UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA)

(DISTRICT:-ALLAHABAD)

1. Sanjay Kumar Singh, son of Shri Thakur Prasad Singh residence of Village- Parasia Bhikham, Post-Markara, District- Deoria at present posted as Civil Judge [Jr. Division] Tanda at Ambedkar Nagar.
2. Arvind Kumar Yadav son of Raja Ram Yadav. r/o village Shahabuddinpur, Post- Kerakat, District- Jaunpur at present posted as Civil Judge [Jr. Division] Chunar, Mirzapur.
3. Vijay Bahadur Yadav son of Late Ram Lawat Yadav residence of Village Kotha Katai, Chewar Post-Sarain, District - Azamgarh at present posted as Civil Judge [Jr. Division] Etawah.

-----Petitioners

VERSUS

1. Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through the Registrar General.
2. State of U.P. through its Special Secretary, U.P. Lucknow.
3. State of U.P. through its Secretary finance U.P. Lucknow.
4. State of U.P. through its Secretary Karmik Anubhag, Lucknow.
5. The Director, Pension Directorate 8th Floor Indra Bhawan, Lucknow.

-----Respondents

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his other companion Judges of the aforesaid Court.

The humble petition of the above named Petitioners most respectfully showeth as under.

1. That this is the first writ petition filed by the Petitioners for the reliefs prayed for except this they have not filed any other writ petition before

B

L

this Hon'ble Court either at Allahabad or at Lucknow or any other courts of law and they have not received any caveat application.

2. That the petitioner no. 1 Sanjay Kumar Singh being B.A. & LLB through regular selections initially entered into service of the State Government by joining on the post of Sub Inspector in Uttar Pradesh Police on 10.09.2001 and worked on the said post up to 16.06.2006, the said post was pensionable post. A true copy of appointment letter dated 30.08.2001 is being filed herewith and marked as Annexure No. 1 to this writ petition.
3. That the petitioner no. 2 Arvind Kumar Yadav being B.Sc. & LLB through regular selections initially entered into service of the State Government by joining on the post of Lekha Parikshak in the Department of Co-operative Societies and Panchayats and posted in the District Sant Ravi Das Nagar Bhadohi on 21.12.2004 and worked on the said post up to 14.06.2006, the said post was pensionable post.
4. That the petitioner no. 3 Vijaya Bahadur Yadav being B.A. & LLB through regular selections initially entered into service of the State Government by joining on the post of Prosecuting Officer on 01.11.1998 and worked on the said post up to 21.06.2006, the said post was pensionable post.
5. That the petitioners subsequently by regular selections conducted by the U.P. Public Service Commission, Allahabad against the advertisement of 2003, with due permissions of the competent-authorities participated in the selection for the post of Civil Judge (Junior Division) and they were finally selected, in pursuance thereof the State Government vide U.P. Government appointment/notification no. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I Dated-26.05.2006 appointed the petitioners on the post of Civil Judge (Junior Division) and thereafter a consequential posting notifications dated 13.06.2006 was issued by the Hon'ble High Court of

Be

Judicature at Allahabad and posted the petitioners as Civil Judge (Junior Division) to be Additional Civil Judge, Junior Division, Ghazipur, Barabanki and Ghazipur respectively. A true copy of the extract of appointment order dated 26.05.2006 containing the name of the petitioners at serial no. 61, 180 and 221 respectively is being filed herewith and marked as **Annexure No. 2** to this writ petition.

6. That the petitioner no. 1 Sanjay Kumar Singh is at present posted as Civil Judge (Junior Division), Tanda at Ambedkar Nagar and petitioner no. 2 Arvind Kumar Yadav is at present posted as Civil Judge (Junior Division) Chunar, Mirzapur and petitioner no. 3 Vijay Bahadur Yadav is at present posted as Judicial Magistrate, Etawah and all they have been discharging their entrusted duty with full spirit and devotions.
7. That it is pertinent to mention before this Hon'ble Court that the prior to joining the regular posts of Judicial Service in the State Government, all the petitioners were holding their respective posts on regular basis carrying pensionable posts of the State Government, however, by virtue of just advance to their careers and futures they joined the posts of Judicial Service but the State Government denying pension on the said posts wholly on irrational, arbitrary grounds and violated Articles 14 & 16 of the Constitution of India vide orders dated 28.10.2009, 10.06.2009 & 30.07.2009 respectively. A true copy of impugned orders dated 28.10.2009, 10.06.2009 & 30.07.2009 are being filed herewith and marked as **Annexure No. 3, 4 & 5** respectively to this writ petition.
8. That it is pertinent to mention before this Hon'ble Court that on identical facts and circumstances as well as on same footing one Shri Avdhesh Pandey who was also State employee carrying pensionable post alike the petitioners before joining his judicial service and belonging to the same batch of the petitioners, also represented to the

6

State Government for treating him on pensionable post of judicial service, on that the State Government issued an order dated 12.01.2008 and upheld his claim of service for pensionable post of judicial service but in case of petitioners the State Government adopted double standards and discriminated. A true copy of order dated 12.01.2008 is being filed herewith and marked as Annexure No. 6 to this writ petition.

9. That the State Government amended 'The Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961' by 'The Uttar Pradesh Retirement Benefits (Amendment) Rule 2005.' The said amended rule is reproduced below:-

"In exercise of powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Hon'ble Governor is please to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961:

(i) Short title and commencement:-

(1) These rules shall be called as Uttar Pradesh Retirement Benefit (Amendment) Rules 2005.

(2) They shall be deemed to have come into force w.e.f. 1st April 2005.

(2) Amendment of Rule 2- In the Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules 1961, in Rule 2 after existing Sub rule (2) the following new sub rule shall be entered namely:-

"3. These rules shall not apply to employees entering services and posts on or after April 1st 2005 in connection with affairs of the State borne on pensionable establishment, whether temporary or permanent.

10. That the petitioners while having pensionable posts of the State Government applied for judicial service against the vacancies having pensionable posts advertised in the year 2003 by the U.P. Public Service Commission Allahabad and in pursuance thereof they were

after facing process of selections, finally appointed by the State Government vide order dated 26.05.2006 and posted under the notification dated 13.06.2006, issued by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad on the posts of Civil Judge (Junior Division). In view of that on legitimate expectations, they are legally entitled to hold pensionable posts and the aforesaid amendment made in the year 2005 w.e.f. 01.04.2005 in existing pensionable rule of 1961 should not be applicable upon the petitioners.

11. That the aforesaid amendment rule of 2005 has no retrospective effect and cannot exclude the petitioners from holding pensionable posts of judicial officers, as the petitioners have been selected and appointed against the existing vacancies having pensionable posts based upon advertisement of the year 2003, published and selected in pursuance thereof by the U.P. Public Service Commission Allahabad.
12. That Civil Service Regulations relating to pensions applicable in Uttar Pradesh, Regulation 370 is reproduced below for kind perusal of this Hon'ble Court.

370. An officer may count continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post except-

- (i) periods of temporary or officiating service in a non-pensionable establishment;
- (ii) periods of service in a work-charged establishment; and
- (iii) periods of service in a post paid from contingencies.

Note- If service rendered in a non-pensionable establishment, work charged establishment or in a post paid from contingencies, falls between two periods of temporary service in a pensionable establishment or between periods of temporary service and

permanent service in a pensionable establishment, it will not constitute an interruption of service.

With effect from 20-4-77

[370. Continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post shall qualify except-

- (i) periods of temporary or officiating service in non-pensionable establishment;
- (ii) periods of service in work-charged establishment, and
- (iii) periods of service in a post paid from contingencies."

13. That the State Government has voluntarily offered for filling the existing vacancies of judicial officers of the state having pensionable posts in pursuance thereof the U.P. Public Service Commission Allahabad processed the selection by advertisement in the year 2003 and the petitioners who had already holding pensionable posts in the State Government and eligible for the posts of judicial officers to advancement of carrier applied for and participated in the selections with understanding that they would have pensionable posts and in pursuance thereof they were given appointments on the said posts therefore the alleged amendment of the year 2005 w.e.f. 01.04.2005, the State Government cannot deny pensionable posts to the petitioners, therefore, the impugned orders depriving the petitioners from pensionable posts is absolutely, arbitrary and also suffer from the principles of estoppel and constructive res-judicata.

14. That in identical circumstances alike the petitioners, one aggrieved judicial officer namely Shri Ram Bilas Prasad belonging to same batch of the petitioners and denied pensionable post, approached this Hon'ble Court by filing civil misc. writ petition no. 51100 of 2009, Ram Bilas Prasad vs. State of U.P. & ors. The said writ petition has been entertained and Hon'ble Court was pleased to pass an order on

B

06.10.2009 and directed the respondents to file counter affidavit and the said writ petition is still pending for admission-hearing.

15. That the impugned orders are absolutely illegal, irrational, violative of Articles 14 & 16 of the Constitution of India and suffer from manifest error of law apparent on the face of records and miscarriage of justice.
16. That the petitioners have been left with no other alternative efficacious and speedy remedy except to seek shelter of this Hon'ble Court under Article 226 of the Constitution of India on the following amongst other grounds:

GROUNDS

- A. Because, the petitioners while having pensionable posts of the State Government applied for judicial service against existing vacancies having pensionable posts of the State, against the advertisement issued by the Public Service Commission Allahabad in the year 2003 and in pursuance thereof they were after facing process of selections, finally appointed by the State Government vide order dated 26.05.2006 and posted under the notification dated 13.06.2006 issued by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad on the posts of Civil Judge (Junior Division). In view of that on legitimate expectations, they are legally entitled to hold pensionable posts.
- B. Because the amendment made in the year 2005 w.e.f. 01.04.2005 in then existing pensionable rule of 1961 has no retrospective effect and is not applicable upon the petitioners who have been appointed against the existing pensionable posts advertised in the year 2003 and selected by the U.P. Public Service Commission Allahabad.
- C. Because, the State Government has voluntarily offered for filling the existing vacancies of judicial officers of the state having pensionable posts in pursuance thereof the U.P. Public Service Commission

✓

(8)

Allahabad processed the selections by advertisement in the year 2003 and the petitioners who had already holding pensionable posts in the State Government and eligible for the posts of judicial officers to advance their carrier with clear understanding of pensionable posts applied for and participated in the selection and in pursuance thereof they were given appointments on the said posts, therefore by the alleged amendment made in the year 2005 w.e.f. 01.04.2005, the State Government cannot deny pensionable posts to the petitioners.

- D. Because, the impugned orders depriving the petitioners from pensionable posts is absolutely, arbitrary and also violoate the principles of estoppel and constructive res-judicata.
- E. Because, the impugned orders are absolutely illegal, irrational, violative of Articles 14 & 16 of the Constitution of India and suffer from manifest error of law apparent on the face of records and miscarriage of justice.
- F. Because, the amendment rule of 2005 has no retrospective effect and cannot exclude the petitioners from holding pensionable posts of judicial officers as the petitioners have been selected and appointed against the existing vacancies having pensionable posts based upon the advertisement of the year 2003, published by the U.P. Public Service Commission Allahabad.

PRAYER

It is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to:

1. Issue writ of certiorari quashing the impugned orders dated 28.10.2009, 10.06.2009 & 30.07.2009 passed by the respondent no.2 State of U.P. through its Special Secretary, Lucknow [Annexure No. 3, 4 & 5] to this writ petition.
2. Issue a writ order of direction in the nature of mandamus commanding the respondents to account previous State-pensionable

(Signature)

L

Services of the petitioners and treat their subsequent appointments dated-26.5.2006 (Annexure-2) having Pensionable posts and to give all such service benefits accordingly.

3. Issue any other writ, order or direction in the nature of writs, as this Hon'ble Court may deem fit and proper to meet ends of justice.
4. Award the cost of this writ petition to the petitioner.

Dated: 6 /December-2009

Indra Raj Singh
(INDRA RAJ SINGH)
Advocate
Counsel for the petitioners
Chamber No.89,
High Court, Allahabad

Bm

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure [1]

IN

CIVIL MISC WRIT PETITION NO. _____ OF 2009

(UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA)

(DISTRICT:-ALLAHABAD)

Sanjay Kumar Singh & others.

-----Petitioners

VERSUS

Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through the Registrar

General. & others

-----Respondents

नियुक्ति आदेश

अभ्यर्थी संजय कुमार सिंह पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह अनुक्रमांक 0790698 जो उप निरीक्षक पुलिस सीधी भर्ती सत्र 1999 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित हुए हैं, को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर धारा - 2 पुलिस एक्ट (अधिनियम-5,1861) के अधीन पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में वेतनमान रूपया 5500-175-9000/- के अंतर्गत अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है, जो सिविल मिस रिट याचिका संख्या 25328/2001 नरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.0 व अन्य के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

2. आप दिनांक 10.9.2001 को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में अपनी आमद कराना सुनिश्चित करें।

3. यह नियुक्ति पूर्ण रूपेण अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

ह0अ0

30.08.2004

राम आधार

पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना)

उत्तर प्रदेश

6

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद - ।

संख्या पॉच ।।। (नियुक्ति) 2000, दिनांक अगस्त 30, 2001

1. अभ्यर्थी संजय कुमार सिंह पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह अनुक्रमिक निवासी ग्राम/भोहल्ला क्वार्टर नं० बी-। खजुरी कालोनी पोस्ट मकबुलआजमरोड खजुरी थाना कचहरी जनपद वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं अन्य परीक्षाओं के समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित अपने व्यय पर दिनांक 10.9.2001 को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में अस्थाई उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रशिक्षण हेतु आमदके लिए उपस्थित हों।
2. यदि वे नियत समय के अन्दर अपनी नियुक्ति हेतु विना किसी औचित्य के उपस्थित नहीं होते हैं तो वे भविष्य में नियुक्ति के अवसर से वंचित कर दिये जायेंगे और उनका नाम चयनित सूची से काट दिया जायेगा। अभ्यर्थी को इस नियुक्ति हेतु शासन की ओर से कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. कृपया संलग्न निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा उसमें अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। बन्ध पत्र के संलग्न दो प्रारूप परिशिष्ट "ख" - (1) परिशिष्ट "ख" (2) क्रमशः रुपये 32/- एवं 42/- के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित करवाकर नोटरी से सत्यापित करवाकर अपने साथ लेकर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को प्रस्तुत करें।

संलग्नक यथोपरे।

आवश्यक/तुरन्त

4. प्रतिलिपि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अभ्यर्थी को संबंधित थाने के माध्यम से बिलम्बतम 3 दिवस के अन्दर अवश्य अवगत कराने की व्यवस्था करें तथा इससे पुलिस मुख्यालय को भी अवगत कराये।
5. प्रतिलिपि पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

// सत्य प्रतिलिपि //

6

नियुक्ति आदेश

अभ्यर्थी: राम अधार सिंह पुत्र श्री. अणुप्र. प्रसाद सिंह

अनुक्रमांक 0790690 जो उप निरीक्षक-नागरिक पुलिस सीधी भर्ती सत्र-1999 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित हुए हैं, को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर धारा-2 पुलिस एक्ट (अधिनियम-5,1861) के अधीन पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में वेतनभान रूपया 5500-175-9000/- के अन्तर्गत अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है, जो सिविल मिस रिट याचिका संख्या:25328/2001 नरेश प्रताप सिंह बनाम पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० व अन्य के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

2- आप दिनांक 10-9-2001 को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय-मुरादाबाद में अपनी आमद कराना सुनिश्चित करें।

3- यह नियुक्ति पूर्ण स्वेषण अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

Handwritten signatures and notes:
He
N
Q
29/8/01

Handwritten signature and date:
30-8-2001
(राम अधार)
पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना)
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद -1
संख्या-पॉव-111(नियुक्ति)2000 दिनांक अगस्त 30 2001

1- अभ्यर्थी राम अधार सिंह पुत्र श्री. अणुप्र. प्रसाद सिंह निवासी गाम/मोहल्ला बाराह पोस्ट मुरादाबाद जिला बाराह जिला बाराह को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं अन्य परीक्षाओं के समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित अपने व्यय पर दिनांक 10-9-2001 को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में अस्थाई उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रशिक्षण हेतु आमद के लिए उपस्थित हों।

2- यदि वे नियत समय के अन्दर अपनी नियुक्ति हेतु बिना किसी औचित्य के उपस्थित नहीं होते हैं तो वे भविष्य में नियुक्ति के अवसर से वंचित कर दिये जायेंगे और उनका नाम चयनित सूची से काट दिया जायेगा। अभ्यर्थी को इस नियुक्ति हेतु शासन की ओर से कोई भत्ता देय नहीं होगा।

3- कृपया संलग्न निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा उसमें अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। बन्ध पत्र के संलग्न दो प्राकृत्य परिशिष्ट "ख"-(1) परिशिष्ट "ख"-(2) क्रमशः रूपये 32/- एवं 42/- के मानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी से सत्यापित कराकर अपने साथ लेकर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को प्रस्तुत करें।

संलग्नक-यथोपरि।

आवश्यक/तुल्य

4- प्रतिलिपि ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक बाराह को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अभ्यर्थी को सम्बन्धित थाने के माध्यम से विलम्बतम 3 दिवस के अन्दर अवश्य अवगत कराने की व्यवस्था करें तथा इरादा पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करायें।

5- प्रतिलिपि पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Handwritten signature: Bi

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure [2]

IN

CIVIL MISC WRIT PETITION NO. _____ OF 2009

(UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA)

(DISTRICT:-ALLAHABAD)

Sanjay Kumar Singh & others.

-----Petitioners

VERSUS

Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through the Registrar
General. & others

-----Respondents

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या-2430/दो-4-06-32(1)2001 TC-1

लखनऊ दिनांक: 26 मई 2006

विज्ञापित/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2003 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रूपया-9000-250-10750-300-1315-350-14550 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चरित्र एवं पूर्ववृत्त संतोषजनक पाये जाने की शर्त/प्रतिबन्ध के साथ, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम व पिता/पति का नाम सर्वश्री/सुश्री	पत्र व्यवहार का पता
1.	विकास गोयल, राजेन्द्र नाथ गोयल	मं. नं०-315 वार्ड नं०-2 बस्ती पथना-140412 फतेहगढ़ साहिब पंजाब
61.	संजय कुमार सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह	क्वाटर नं०-40 लेन-6 महामनापुरी कालोनी, आई० टी० आई० रोड वी० एच० यू० वाराणसी
180	अरविन्द कुमार यादव, स्व० राजा राम यादव	ग्रा० शाहबुद्दीनपुर पो० केशकत जौनपुर-222142
221	विजय बहादुर यादव, स्व० श्री रामलवट यादव	कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर देवरिया
329	अनिल कुमार खरवार, काशीनाथ	71/1 भावापुर (जी. टी. बी. नगर) इलाहाबाद-211016



2. उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
3. उक्त अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थियों से चरित्र-पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में कार्मिक एवं न्याय विभाग के परामर्शानुसार निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

ह० अ०
(उमेश सिन्हा)
सचिव
ह० अ०

संख्या- 2430(1)/दो-4-2006-32(1) 2001 टी० सी०-तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उ० प्र० इलाहाबाद को उ० प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र० इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-119/2 ई-2/04-05, दिनांक-20-4-2006 एवं पत्र संख्या-122/2/ई-2/04-05 दिनांक 28-4-06 के संदर्भ में।
3. संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय उ० प्र० शिविर कार्यालय कचहरी रोड, इलाहाबाद।
4. निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ० प्र० गोमती नगर लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ० प्र० शासन लखनऊ।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को, शपथ पत्र के प्रारूप की प्रति सहित, इस निर्देश सहित प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ससीमा के अन्दर अपने पद

6

का कार्यभार, प्रश्नगत शपथ-पत्र प्रस्तुत कर, अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के यह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा सचिव, नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जीतवनही (जू० डि०) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ० प्र० लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अभ्यर्थियों को जब तक सिविल जज (जू० डि०) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं वह तब तक अस्थायी कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74 नियुक्ति-3 दिनांक 11-6-75 में दी गई शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

7. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति की 329 प्रतियाँ, सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त 329 अभ्यर्थियों के विषयक में चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टस मूलरूप में चरित्र/पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र के प्रारूप सहित, इस मंतव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी स्थिति से शासन को अबिलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों तैनाती के सम्बन्ध में निर्णत होने वाले मा० न्यायालय के

6

आदेशों की प्रति, चरित्र-पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र की छाया प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सूचना शासन को कृपया तत्काल प्रेषित की जाये।

9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
ह0 अ0
(मोहन सिंह चौहान)
विशेष सचिव
ह0 अ0

// सत्य प्रतिलिपि //

①

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure [3]

IN

CIVIL MISC WRIT PETITION NO. _____ OF 2009

(UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA)

(DISTRICT:-ALLAHABAD)

Sanjay Kumar Singh & others.

-----Petitioners

VERSUS

Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through the Registrar
General. & others:

-----Respondents

- विशेष वाहक द्वारा

संख्या-3274/दो-4-09-23(12)/07

प्रेषक,

अवधेश कुमार सिंह राठौर,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2009

विषय- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जू.डि.) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की
गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10403/चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक 22-8-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजय कुमार सिंह द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 17-6-2006 को योगदान करने से पूर्व उपनिरीक्षक (ना. पु.) के पद पर दिनांक 10-9-2001 से दिनांक 16-6-2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध



में वित्त विभाग से प्राप्ता परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1-4-2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही अवगत करा दिया जाय कि दिनांक 1.4.05 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी. पी. एफ. की सदस्यता नहीं गृहण करेंगे।

2- श्री सिंह की पूर्व/वर्तमान सेवापुस्तिकायें संलग्नकर भेजी जा रही है।

संलग्नक:- सेवापुस्तिकायें (मूलरूप में)

भवदीय
(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।
ह0 अ0

संख्या-3274/दो-4-09-23(12)/07, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वाँ तल, उ0 प्र0 लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
- 5- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जू0 डि0) गाजीपुर।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- गार्ड बुक हेतु।

Seen Infm. Sri Sanjay Kr. Singh.

ह0 अ0

जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

5.11.09

आज्ञा से,
ह0 अ0
(डा0 सुनील कुमार)
अनुसचिव

// सत्य प्रतिलिपि //

B

विशेष बाहक द्वारा
संख्या-3274/दो-4-09-23(12)/07

प्रेषक,
शिवधरा कुमार सिंह राठौर,
विशेष सचिव,
110 T.O शारान।
सेवा में,
महाप्रबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

तारीख: दिनांक 21 अक्टूबर, 2009

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जू.डि.) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10403/चार-3210, एडमिन(ए) दिनांक 22-9-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजय कुमार सिंह द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 17-0-2000 को योगदान करने से पूर्व उपनिरीक्षक (सा.पु) के पद पर दिनांक 10.0.2001 से दिनांक 10.0.2008 तक की गई सेवाओं को रोमानैट्रिक नाम हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2016 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अधिकारी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2008 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ रोमानैट्रिक लागू हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही अवगत करा दिया जाय कि दिनांक 1.4.08 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं गृहण करेंगे।

2- श्री सिंह की पूर्व/वर्तमान रोमानैट्रिक कार्यें सलत्नकर भेजी जा रही हैं।
संसाधन:-रोमानैट्रिक कार्य (मूलरूप में)

भवदीय,

(शिवधरा कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

संख्या-3274(1)/दो-4-09-23(12)/07 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1- महाप्रबंधक (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वीं तल, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जानपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
- 5- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जू.डि.) गाजीपुर।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- गार्ड फुल हेतु।

Scan copy to copy to copy

5-11-09

आज्ञा से,
(डा० सुनील कुमार)
अनु सचिव।

6

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure [4]

IN

CIVIL MISC WRIT PETITION NO. _____ OF 2009

(UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA)

(DISTRICT:-ALLAHABAD)

Sanjay Kumar Singh & others.

-----Petitioners

VERSUS

Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through the Registrar
General. & others

-----Respondents

विशेष वाहक द्वारा

संख्या-1670/दो-4-09-23(22)/08

प्रेषक,

अवधेश कुमार सिंह राठौर,

विशेष सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,

उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2009

विषय- श्री अरविन्द कुमार यादव, अपर सिविल जज, (जू.डि.) बाराबंकी की पूर्व सेवाओं की
गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-4788/
-3329/एडमिन(ए) दिनांक 18-4-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
श्री अरविन्द कुमार यादव द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 15-6-2006 को योगदान
करने से पूर्व जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों में लेखापरीक्षक के पद पर
दिनांक 21-12-2004 से दिनांक 14-6-2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ
हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.

6

2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1-4-2005 अथवा उसके उपरान्त में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1-4-2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने की औचित्य नहीं पाया गया है।

2- श्री यादव की पूर्व/वर्तमान सेवापुस्तिकायें संलग्नकर इस आशय से वापस की जा रही हैं कि कृपया आवश्यक कार्यवाही के पश्चात उक्त सेवापुस्तिका सम्बन्धित विभाग/कार्यालय वापस करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- सेवापुस्तिकायें (मूलरूप में)

भवदीय
(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।
ह0 अ0

संख्या-1670(1)/दो-1-08-23(22)/08, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वाँ तल, उ0 प्र0 लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।
- 5- श्री अरविन्द कुमार यादव, चीफ अपर सिविल जज, (जू0 डि0) बाराबंकी।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3,
- 7- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,
ह0 अ0
(सुनील कुमार)
अनुसचिव

// सत्य प्रतिलिपि //

B

विशेष अधिकारी
१५/६/०९

विशेष वाहक द्वारा
संख्या-1670/दो-4-09-23(22)/08

अवधेश कुमार सिंह राठौर,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन

महानिर्देशक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

वित्त अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 10 जून, 2009

श्री अरविन्द कुमार यादव, अपर सिविल जज (जू.डि.) बाराबंकी की पूर्व सेवाओं की

संबन्धित विषयक संयुक्त निर्देशक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्र संख्या-4788/3320/एमिन(ए) दिनांक 18-4-2009 के संदर्भ में गुडो गड कहने का निर्देश हुआ है कि श्री अरविन्द कुमार यादव द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 15-8-2006 को योगदान करने से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों में लेखापरीक्षक के पद पर दिनांक 21.12.04 से दिनांक 14.6.2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त में आगे वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित जारी सेवाओं द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु गणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

श्री यादव की पूर्व/वर्तमान सेवापुस्तिका में संलग्नकर इस आशय से वापस की जा रही है कि कृपया आवश्यक कार्यवाही के परचा उक्त सेवापुस्तिका सम्बन्धित विभाग / कार्यालय वापस करने का कष्ट करें।

संकेत:- सेवापुस्तिकाये (मूलरूप में)

Farooq Service Book

अवधेश कुमार सिंह राठौर
विशेष सचिव।

संख्या-1670(1)/दो-4-08-23(22)/08 तददिनांक

परिमित निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. जिला लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2. निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वें तल, उ० प्र०, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचहरी रोड, इलाहाबाद।
जनपद न्यायाधीश बाराबंकी।
श्री अरविन्द कुमार यादव, वीफ अपर सिविल जज (जू.डि.) बाराबंकी।
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
गोड बुक हेतु

आज्ञा से,
(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

B

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure [5]

IN

CIVIL MISC WRIT PETITION NO. _____ OF 2009

(UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA)

(DISTRICT:-ALLAHABAD)

Sanjay Kumar Singh & others.

-----Petitioners

VERSUS

Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through the Registrar
General. & others

-----Respondents

रजिस्टर्ड

संख्या-2481/दो-4-09-23(3)/09

प्रेषक,

अवधेश कुमार सिंह राठौर,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2009

विषय- श्री विजय बहादुर यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-7506/चार-3570/एडमिन(ए) दिनांक 19-6-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री विजय बहादुर यादव द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 22-6-2006 को योगदान करने से पूर्व अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 01-11-1998 से दिनांक 21-6-2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु

6

आगणित किये जाने व; सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1-4-2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करी पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही यह भी अवात कराना है कि दिनांक 1-4-05 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी० पी० एफ० की सदस्यता नहीं ग्रहण करेंगे।

2- श्री विजय बहादुर यादव की पूर्व/वर्तमान सेवापुस्तिकायें संलग्न कर इस आशय से वापस की जा रही हैं कि कृपया आवश्यक कार्यवाही के पश्चात उक्त सेवापुस्तिकायें सम्बन्धित विभाग/कार्यालय वापस करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- सेवापुस्तिकायें (मूलरूप में)

भवदीय
(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।
ह० अ०

संख्या-2481(1)/दो-4-09-23(3)/09, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वाँ तल, उ० प्र० लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
- 5- श्री विजय बहादुर यादव, जूडिशियल मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3।
- 7- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,
ह० अ०
(श्री० सुनील कुमार)
अनुसंधिच

// सत्य प्रतिलिपि //

संख्या-2481/दो-4-2009-23(3)/2009
Encl.- दो साक्षात्कार

संख्या-2481/दो-4-2009-23(3)/2009

Register No.	729
File No.	II/3370
Serial No.	19

108587
1911

अवधेश कुमार सिंह राठौर,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शाखा।

महानियंत्रक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

12-2-2009 दिनांक 20 जून 2009

विषय:-
महोदय

श्री विजय बहादुर यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की मर्यादा।

उपर्युक्त विषयक सदस्य निबंधक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-7508/चार-3570/एडमिन(ए) दिनांक 19-6-2009, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि श्री विजय बहादुर यादव द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 22-6-2008 को योगदान करने से पूर्व अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 01.11.1998 से दिनांक 21.6.2008 तक की गई सेवाओं को सेवातेवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में विलय विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशवार्गी पेंशन योजना की व्यवस्था अनेवार्थ रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित साक्षरों सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवातेवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही यह भी अवगत करवाया है कि दिनांक 1.4.05 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं ग्रहण करेंगे।

2- श्री विजय बहादुर यादव की पूर्व / वर्तमान सेवापुस्तिकाओं को संतुलन कर इस आशय से जापरा की जा रही है कि कृपया आवश्यक कार्यवाही के पश्चात उक्त सेवापुस्तिकायें सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- सेवापुस्तिकायें (मूलरूप में)

भवदीय,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

संख्या-2481(1)/दो-4-2009-23(3)/09, तददिनांक

- 1- प्रतिलिपि निर्माता को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 2- महादेखाकार (लंका एवं हकदारी)द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 3- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वें तल, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, सिविल कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 5- जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
- 6- श्री विजय बहादुर यादव जूडिशियल मजिस्ट्रेट गाजीपुर।
- 7- वित्त (सामान्य), अनुभाग-3 गाँव बुक हेतु।

आज्ञा से,

(डा० सुनील कुमार)
अनु सचिव।

1911
S.R.M.
Service Book

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Annexure [6]

IN

CIVIL MISC WRIT PETITION NO. _____ OF 2009

(UNDER ARTICLE 226 OF CONSTITUTION OF INDIA)

(DISTRICT:-ALLAHABAD)

Sanjay Kumar Singh & others.

-----Petitioners

VERSUS

Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through the Registrar

General. & others

-----Respondents

संख्या-4722/दो-4-07-23(9)/07

प्रेषक,

मोहन सिंह चौहान,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2008

विषय- श्री अवधेश पाण्डेय, अपर सिविल जज, (जू.डि.) बाराबंकी की पूर्व सेवाओं की गणना।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10100/चार-3324/एडमिन(ए) दिनांक 30-7-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अवधेश पाण्डेय द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 16-6-2006 को योगदान करने से पूर्व राज्य सरकार के अन्तर्गत उ० प्र० सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक (वर्तमान में समीक्षा अधिकारी) के पद पर दिनांक 10-2-98 से दिनांक 15-6-2006 तक की गई सेवाओं को उ० प्र० न्यायिक सेवा के साथ सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद

6

370 में निहित व्यवस्था के अधीन सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री पाण्डेय की सेवानिवृत्ति के समय यदि कोई निम्न नियम प्रभावी होते हैं तो यथासमय उन्हीं नियमों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

2- श्री पाण्डेय की पूर्व सेवापुस्तिका मूल रूप में संलग्न कर इस आशय से वापस की जा रही है कि कृपया आवश्यक कार्यवाही के पश्चात सेवा पुस्तिका कृपया सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

3- उक्त आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-सा-3-1738/दस-2007, दिनांक 17 दिसम्बर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- सेवापुस्तिका (मूलरूप में एक अदद)

भवदीय
(मोहन सिंह चौहान)
विशेष कार्याधिकारी।
ह0 अ0

संख्या-4722(1)/रो-4-07-23(9)/2007, तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक पेशन निदेशालय, इन्दिरा भवन ~~8वीं~~ तल, उ0 प्र0 लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।
- 5- श्री अवधेश पाण्डेय, अपर सिविल जज, (जू0 डि0) जनपद बाराबंकी।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।
- 7- मार्ट बुक-इसु-

आज्ञा से,
ह0 अ0
(यतीन्द्र मोहन)
अनुसचिव

// सत्य प्रतिलिपि //

संख्या-4722/दो-4-07-23(9)/2007

प्रेमक,
मोहन सिंह चौहान,
विशेष कार्यधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

प्रियुषित अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक 12 जनवरी, 2008

विषय:- श्री अवधेश पाण्डेय अपर सिविल जज(जु0डि0) बाराबंकी की पूर्व सेवाओं की गणना।

मज्ञोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10100/चार-3324/एडमिन 'ए' दिनांक 30-7-07 के संदर्भ में मुझे यह कठनो वा निदेश हुआ है कि श्री अवधेश पाण्डेय द्वारा उ0प्र0 न्यायिक सेवा में दिनांक 11-8-2008 को सौंपदान करने से पूर्व राज्य सरकार को अंतरित उ0 प्र0 सभिमालय प्रथम वर्ग सहायक(वर्तमान में समीक्षा अधिकारी) के पद पर दिनांक 10-2-08 से 11-8-2008 तक की गई सेवाओं को उ0प्र0 न्यायिक सेवा के साथ सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 370 में निहित व्यवस्था के अधीन सेवानैवृत्तिक लागू हेतु उपाधित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री पाण्डेय को सेवानिवृत्ति के समय यदि कोई नियन्त्रण प्रभावी होते हैं तो गम्यासमय उन्हीं नियमों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

2- श्री पाण्डेय की पूर्व सेवानिवृत्तिका मूलरूप में संलग्न कर इस आशय से वापस ले जा रही है कि कृपया आवश्यक कार्रवाही के पश्चात सेवानिवृत्तिका कृपया संबंधित विभाग/कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

3- उक्त आदेश विल (सामान्य) अनुभाग-3 केअशासत्रीय संख्या-सा-3-1738/दस-2007, दिनांक 17.दिसम्बर,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-सेवानिवृत्तिका (मूलरूप में एक अदद)

भवदीय,

(मोहन सिंह चौहान)
विशेष कार्यधिकारी।

संख्या-4722(1) / दो-4-07-23(0) / 2007 तदव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं धककारी) द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, पेशान निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक,कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कसहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश बाराबंकी।
- 5- श्री अवधेश पाण्डेय, अपर सिविल जज(जु0डि0)/जनपद बाराबंकी।
- 6- विल (सामान्य) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
देवेन्द्र मोहन
अनु सचिव।

Order

Seen. Keep on file. Inform the other concerned.

20/1/08
(P.S.)

Dr. H. K. ...
18.2.08

32/1
16
अवधि

In the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad

AFFIDAVIT

IN

Civil Misc Writ Petition No. Sanjay Kumar Singh & others of 2009 Distt Allahabad
..... Petitioner

Versus

Honble High Court & Judicature at Allahabad Respondent
Affidavit of Sanjay Kumar Singh aged about 33 years
S/o Sri. Thakur Prasad Singh
Resident of Village / Mohalla Parasia Bikhau
P.O. Markara District Deons

(Deponent)

I the above named deponent, do hereby solemnly affirm and takes on oath as follows:

- 1- That the deponent is the Petitioner No. 1 & / Palrokar of the petitioner No. 203... In this writ petition, and as such he is fully acquainted with the facts deposed to below and those stated in the writ petition.
- 2- That the contents of paragraph 1 of the affidavit and those of paragraph Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 of the writ petition are true to the personal knowledge of the deponent, those of paragraphs 2, 3, 4, 5 are based on persual of records, those of paragraphs Nos. 8, 9, 10, 11, 12, 14 of the writ petition are based on information received by the deponent those paragraphs 16 of the writ petition are based on legal advice which are the deponent verily believes to be true, that no material has been concealed and that no part of this affidavit is false. So help me God.

Sanjay
Deponent

I, Clerk to Sri Indra Raj Singh Advocate, High Court Allahabad do hereby identify the deponent from persual of the papers in his possession and I am satisfied that he is the same person making this affidavit.

Clerk Advocate

L.T.I. of the Deponent

Solemnly affirmed before me this 6 day of Dec 2009
at 7:30 A.M./P.M. by the deponent who has been identified by the aforesaid person

I have satisfy myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read over and explained to him by me.

Oath Commissioner

Sanjay

(65)

AR (M)

(610)

Request-78

169

6/3/07

May kindly see the application dated 07-3-2007 of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil Judge (Junior Division), Ghazipur duly forwarded by the District Judge Ghazipur regarding counting of his previous service with his present service in U.P Nyayik Sewa for the purpose of pensionary and other benefits placed below at page 6A

In the aforesaid application Sri Singh has stated that prior to joining the U.P Nyayik Sewa on the post of Addl Civil Judge (Junior Division) Ghazipur he rendered his services on the post of Sub-Inspector in police department with effect from 10-9-2001 to 16-6-2006. He obtained No objection certificate and appeared in the examination of U.P Nyayik Sewa and finally selected. Thereafter being relieved from police department he has joined the U.P Nyayik Sewa on 17-6-2006

Now he has requested to this Court that his previous services rendered by him on the post of Sub-Inspector in police department with effect from 10-9-2001 to 16-6-2006 may kindly be counted with his present service in U.P Nyayik Sewa accordingly.

In this connection it is submitted that such application / representation of judicial officers regarding counting of previous service are considered by the State Government / Government of U.P. Lucknow. Therefore it seems proper and reasonable that

Request-78

application of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl. Civil Judge (Junior Division) Chhazipur may be sent to the Government for orders


A
May be approved by Honble Mr. Justice Ashok Bhushan. A copy of application dated 07-3-2007 of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil Judge (Junior Division) Chhazipur along with its enclosures regarding counting of his previous service may be sent to the Joint Secretary, Appointment Section-4, Government of U.P. Lucknow for obtaining necessary orders of the Government in the matter.

PKSrivastava
03-7-2007

ARCM
May be approved as proposed at A2.
W. S. Saxena
2/7/07
SOAI.


REGISTRAR (B)

submitted for kind perusal and order for onwards submission as proposed at 'A' above.


A. R. (M) 5/7/07


Hon'ble Mr. Justice Ashok Bhushan


Submitted for kind perusal and orders.


06/07/07

Approved as proposed at 'A'.

Ashok Bhushan
(Ashok Bhushan)
9.7.07

A.R. (M)

REG (B)
10/7/07

S.O. Adm. A1

A.R. (M)
10-7-07

JR (10)

Request No. 30528

May kindly see the application dated 21-7-08 of Sri Arvind Kumar Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Barabanki duly forwarded by the District Judge, Barabanki regarding counting of his previous service with the service of U.P. Nyayik Sewa for the purpose of pensionary and other benefits placed below at page 'A'.

In the aforesaid application Sri Yadav has stated that prior to joining the U.P. Nyayik Sewa he was posted as Auditor with effect from 21-12-2004 to 14-6-2006 in the office of District Audit Officer, Cooperative Societies and Panchayat, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi. He obtained the NO objection from previous department and applied for the Nyayik Sewa.

Now he has requested to this Court that his previous services rendered by him with effect from 21-12-2004 to 14-6-2006 on the post of Auditor may kindly be counted with his present service. He has also enclosed attested copy of service book, attested copy of NO objection certificate, attested copy of present service ^{book} and copy of Charge Certificate with his application.

In this connection it may be submitted that necessary orders are ^{being} ~~to be~~ passed by the Government of U.P. in the matter of counting of previous service of judicial officers. Therefore, it seems proper and reasonable that aforesaid application of Sri Arvind Kumar Yadav, Additional Civil Judge (Junior

Request-78
Division) Barabanki may be sent to the
Government of U.P for orders

✓
✓
'A'
Of approved by Honble Mr. Justice Ashok
Bhushan, a copy of application dated 01.7.2008
of Sri Arvind Kumar Yadav, Additional
Chief Judge (Junior Division) Barabanki
along with its enclosures regarding
counting of his previous service may
be sent to the Joint Secretary, Appointment
Section-4, Government of U.P. Lucknow for
obtaining necessary orders of the Government
in the matter.

Registrar (B)

may kindly peruse the above office note,
and may like to lay the file before
Hon'ble Mr. Justice Ashok Bhushan
for according His Lordship's approval
as proposed at 'A' above?

BJ
29.9.08
J.R.(M)

P.K. Saini
29.9.08
Steinpathra
29-9-08

Hon'ble Mr. Justice Ashok Bhushan

Submitted for kind perusal and orders as proposed
at 'A' above.

h
30/9/08
Registrar (B)

Approved as proposed
at 'A'

Ashok Bhushan
1.10.08

J.R.(M)

h
14/10
Repr-(B)

So Admin. A1

BJ

J.R.(M)
14-10-08

Pankaj
CP
15-10-08

Request-78
8/15/09

JR(10)

May kindly see the application dated 18-11-2008 of Sri Vijay Bahadur Yadav, Judicial Magistrate, Chazipur duly forwarded by the District Judge, Chazipur regarding counting of his previous service with the service of U.P. Nyayik Sewa for the purpose of pensionary and other benefits, placed below, at Jay Pr.

In his aforesaid application Sri Yadav has stated that at present he is posted as Judicial Magistrate Chazipur and prior to joining the U.P. Judicial service he rendered his services as the post of Assistant Prosecution Officer with effect from 01-11-1998 to 21-06-2006. After obtaining 'no objection' certificate from Prosecution department he appeared in the examination of U.P. Nyayik Sewa 2003 and finally selected. That after being relieved from previous department on 21.6.06 he has joined the U.P. Nyayik Sewa on 22.6.2006.

Now Sri Vijay Bahadur Yadav has requested to this court that his previous services rendered by him as the post of Assistant Prosecution Officer with effect from 01-11-1998 to 21-06-2006 may kindly be counted with his present service in U.P. Nyayik Sewa accordingly.

In this connection it is submitted that orders are being passed by the State Government / Government of U.P. in the matter of counting of previous service of judicial officers. Therefore it seems proper that aforesaid

Request-78

Application of Sri Vijay Bahadur Yadav
Judicial Magistrate, Chazipur may be
sent to the State Government, Government of U.P.
for orders.

'A'

As apprised by Hon'ble Mr. Justice Ashok
Bhushan, a copy of application dated 12-11-08
of Sri Vijay Bahadur Yadav, Judicial
Magistrate, Chazipur regarding con-
tinuing of his previous service may be
sent to the Joint Secretary, Appointment
Section-4, Government of U.P. Lucknow for
obtaining necessary orders of the
Government in the matter.

Registrar (B)

May kindly peruse the above
office note, and may like to lay
the file before Hon'ble Mr. Justice Ashok Bhushan,
for according His Lordship's approval
as proposed at 'A' above?

P. K. Srivastava

06-1-2009

Steinpatra

06-1-2009

OP

07.01.09
J.R.(M)

Hon'ble Mr. Justice Ashok Bhushan,
Before joining P.C.S.J. service, Office has
worked as A.P.O. from 1.11.98 to 21.6.06.
Submitted for kind perusal &
approval of 'A'.

OP
15/1/09
(Reg - B)

Approved as
proposed at 'A'

Ashok Bhushan
16.1.09

Sd/- Admin. A1

OP

J.R.(M)
20-1-09

J.R.(M)

OP
19/1/09
Reg- (B)

Pankaj
20-1-09

Request-78

Registered Post

To
The Joint Secretary
Appointment Section-4
Government of U.P.

Lucknow

NO 10238 / IV-3210 / AdminA dated 1.8.07

Subject - Counting of previous service of
Sri Sanjay Kumar Singh, Addl
Civil Judge (Junior Division), Ghazipur
with his present service in U.P.
Nyayik Seva.

Sir

I am directed to send herewith a
copy of application dated 07-3-2007 of
Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil
Judge (Junior Division) Ghazipur along-
with its enclosures on the above subject
and to request you kindly to obtain
necessary orders of the Government and
communicate the same to this court at
an early date so that further necessary
action maybe taken in the matter.

Yours faithfully

Assistant Registrar

Enc - as above

NO 10239 / IV-3210 / AdminA dated 1.8.07
Copy forwarded for information and
necessary action to -

- 1- The District Judge, Ghazipur with
reference to his ^{end. No. 225/1} application dated 9.3.07
- 2- Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil
Judge (Junior Division) Ghazipur
with reference to his application dated
07-3-2007

17/7

Assistant Registrar

AR(1)

May kindly
see order
of Honble Mr.
Justice Ashok
Bhusan dated
9-7-2007
and issue
the draft

PKS/10/2007

16-7-2007

W/S/10/2007

16/7/07

Issue

17/7/07

To
The Joint Secretary, O.C.
Appointment Section-4,
Government of U.P.,
Lucknow.

Registered post

NO 13692 / IV-3329/ Admin A dated 25-10-08
Subject - Counting of previous service of Sri
Arvind Kumar Yadav, Additional Civil
Judge (Junior Division) Barabanki
with his present service in U.P. Nyaayik
sewa.

URGENT

Sir,
I am directed to send herewith a
copy of application dated 01-7-2008 of
Sri Arvind Kumar Yadav, Additional Civil
Judge (Junior Division), Barabanki along with
his enclosures, on the ~~sub~~ above subject,
and to request you kindly to obtain nec-
essary orders of the Government and
communicate the same to this court, so
that further necessary action may be
taken in the matter

JRCO)
may kindly
see the order
of Honble Justice
Ashok Bhushan
dated 01-10-08
and issue
draft
Dr. S. K. Mishra
16-10-08
S. K. Mishra
16-10-08

Encl - as above

yours faithfully
[Signature]
17.10.08
Joint Registrar

21
NO 13693 / IV-3329/ Admin A dated 25-10-08
copy forwarded for information and necessary
action to -

- 1- The District Judge, Barabanki with refer-
ence to his endorsement NO. 871/L dated
02-7-08
- 2- Sri Arvind Kumar Yadav, Additional Civil
Judge (Junior Division) Barabanki

[Signature]
17.10.08
Joint Registrar

Request-78

Registered post


To
The Joint Secretary
Appointment Section-4
Government of U.P.
Lucknow

No¹⁰ 1053 IV-3370/Adm A dated 7-2-09.

Subject - Counting of previous service of
Sri Vijay Bahadur Yadav,
Judicial Magistrate, Chhapra with
his present service in U.P.
Nyayik sewa.

Sir,
I am directed to send herewith
a copy of application dated 18-11-2008
of Sri Vijay Bahadur Yadav, Judicial
Magistrate, Chhapra on the above subject
and to request you kindly to obtain
necessary orders of the Government at
an early date and communicate the
same to this court, so that further
necessary action may be taken in
the matter.


Encl - as above

Yours faithfully

22.01.09
Joint Registrar

JR (10)
May kindly
see the order
of Honble Justice
Alok Mishra
dated 16-1-09
and issue
the draft
DK Srivastava
21-1-2009
~~Wairpattar~~
21-01-2009

//
NO 1054 IV-3370/Adm A dated 7-2-09
Copy forwarded for information and necessary
action:-

- 1- The District Judge, Chhapra with reference
to his order No. 1102/MV dated 19-11-08.
- 2- Sri Vijay Kumar Yadav, Judicial
Magistrate, Chhapra.


22.01.09
Joint Registrar

Request-78

कोशिका 4R (मं.)

31-10-09

31-10-09

1874
30-10-09

प्रेषक:

अवधेश कुमार सिंह राठौर
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।
महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

2
5/10

2
4.11.09

विशेष वाहक द्वारा

संख्या-3274/दो-4-09-23(12)/07

922

3210
42

31-10-09

11-9

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2009.

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जूडि.) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10403/चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक 22-8-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजय कुमार सिंह द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 17-6-2006 को योगदान करने से पूर्व उपनिरीक्षक (नॉ.पु.) के पद पर दिनांक 10.9.2001 से दिनांक 16.8.2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही अवगत करा दिया जाय कि दिनांक 1.4.05 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं गृहण करेंगे।

2- श्री सिंह की पूर्व/वर्तमान सेवापुस्तिकायें संलग्नकर भेजी जा रही हैं।
संलग्नक:-सेवापुस्तिकायें (मूलरूप में)

3535
31-10-09
JR(M)

JR(M)

Withdrawal Service Book

संख्या-3274(1)/दो-4-09-23(12)/07, तददिनांक

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
महानिबंधक (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वें तल, उ० प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
- 5- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जूडि.) गाजीपुर।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- गार्ड बुक हेतु।

भविष्य,
(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

आज्ञा से,

(डा० सुनील कुमार)
अनु सचिव।

Pandey
6/11/09

Request-78

विशेष वाहक द्वारा

संख्या-1670/दो-4-09-23(22)/08

दोस्ताना
15-6-09

Scrital
16-6-09
Encl-दस्तावेज/पुस्तिका
सेवा में

1067
15-6-09

अवधेश कुमार सिंह राठौर,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

7928 563

Register No.
File No.	3329
Serial No.	36

17/6/09
लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2009

विषय:- श्री अरविन्द कुमार यादव, अपर सिविल जज (जू.डि.) बाराबंकी की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-4788/चार-3329/एडमिन(ए) दिनांक 18-4-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अरविन्द कुमार यादव द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 15-6-2006 को योगदान करने से पूर्व जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों में लेखापरीक्षक के पद पर दिनांक 21.12.2004 से दिनांक 14.6.2005 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

2- श्री यादव की पूर्व/वर्तमान सेवापुस्तिकायें संलग्नकर इस आशय से वापस की जा रही हैं कि कृपया आवश्यक कार्यवाही के पश्चात उक्त सेवापुस्तिका सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- सेवापुस्तिकायें (मूलरूप में)

⑥ ✓
JR(M)
With Encl. For Service Book

संवदीय,
(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

संख्या-1670(1)/दो-4-08-23(22)/08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वाँ तल, उ० प्र०, लखनऊ।

अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।

जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी।

श्री अरविन्द कुमार यादव, चीफ अपर सिविल जज, (जू.डि.) बाराबंकी।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

⑥ SO Adm H/A
Musalewar

16-6-09
JR

16 JUN 2009

दोस्तारपुरी
सं. 1086/07

Scantal
1-8-09
Encl-दोस्तारपुरी

Request-78

संख्या-2481/दो-4-2009-23(3)/2009

अवधेश कुमार सिंह राठौर,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

229

Register No.
File	IV/3370
Serial No.	19

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

12-8-09 लखनऊ दिनांक 30 जुलाई, 2009

विषय:-
महोदय,

श्री विजय बहादुर यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-7506/चार-3570/एडमिन(ए) दिनांक 19-6-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री विजय बहादुर यादव द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 22-6-2006 को योगदान करने से पूर्व अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 01.11.1998 से दिनांक 21.6.2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 1.4.05 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं ग्रहण करेंगे।

2- श्री विजय बहादुर यादव की पूर्व /वर्तमान सेवापुस्तिकायें को संलग्न कर इस आशय से वापस की जा रही है कि कृपया आवश्यक कार्यवाही के पश्चात उक्त सेवापुस्तिकायें सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- सेवापुस्तिकायें (मूलरूप में)

भवदीय,
(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

संख्या-2481(1)/दो-4-2009-23(3)/09 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
 - 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वाँ तल, उ० प्र०, लखनऊ।
 - 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
 - 4- जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
 - 5- श्री विजय बहादुर यादव जूडिशियल मजिस्ट्रेट गाजीपुर।
 - 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
 - 7- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(डा० सुनील कुमार)
अनु सचिव।

4 AUG 2009

B. O. Adams 14/8

Registrar
06-08-09

Pankaj
13-8-09

वि. पाण्डेय

Request-78

संख्या-4722/दो-4-07-23(9)/2007

मोहन सिंह चौहान,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

169
Register No. IV/3324
Serial No. 12
16/2/08
22/2/08

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2008

विषय- श्री अवधेश पाण्डेय अपर सिविल जज(जूजि0) बाराबंकी की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक सहायक निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10100/चार-3324/एडमिन 'ए' दिनांक 30-7-07 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री अवधेश पाण्डेय द्वारा उ0प्र0 न्यायिक सेवा में दिनांक 16-6-2008 को गोगदान करने से पूर्व राज्ग सरकार के अंतर्गत उ0 प्र0 सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक(वर्तमान में समीक्षा अधिकारी) के पद पर दिनांक 10-2-98 से 15-6-2008 तक की गई सेवाओं को उ0प्र0 न्यायिक सेवा के साथ सिविल सर्विस रेग्युलेशन-स के अनुच्छेद 370 में विहित व्यवस्था के अधीन सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री पाण्डेय की सेवानिवृत्ति के समय यदि कोई निम्न निगम प्रभावी होते हैं तो गथासमग उन्ही नियमों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

2- श्री पाण्डेय की पूर्व सेवापुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर इस आशय से वापस की जा रही है कि कृपया आवश्यक कार्रवाही के पश्चात सेवापुस्तिका कृपया संबंधित विभाग/कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

3- उक्त आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-सा-3-1736/दस-2007, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-सेवापुस्तिका (मूलरूप में एक अदद)

भवदीय,

मोहन सिंह चौहान

(मोहन सिंह चौहान)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-4722(1) / दो-4-07-23(9) / 2007 तदेव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश बाराबंकी।
- 5- श्री अवधेश पाण्डेय, अपर सिविल जज(जूजि0)/जनपद बाराबंकी।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव।

2

मोहन सिंह चौहान
विशेष कार्याधिकारी
22-2-08

10974
19-2-08

731
S.O Admin. H/A

J.R(M)
20-2-08

3
JRCM
with Encl
one service
Book

20 FEB 2008

Pamela
17-5-08

To
The District Judge
Ambedkar Nagar

Registered post

No 18357 /IV-3210/ Admin A dated 22-12-09

Subject - Counting of previous service of Sri
Sanjay Kumar Singh, the then
Addl Civil Judge (Junior Division)
Chhizipur now posted as Civil Judge
(Junior Division) Tanda, Ambedkar Nagar
with his present service in U.P.Nyayik
sewa

Sir,


I am directed to send here with a

AR (Admin A)

copy of Government letter NO. 3274/II-4-09
-23(12)10 dated 28.10.09 along with
original service book of U.P.Nyayik sewa and
original service book relating to previous
service as Sub-Inspector in Police Department
of Sri Sanjay Kumar Singh, Civil Judge
(Junior Division) Tanda, Ambedkar Nagar on the
above subject and to request you that contents
of aforesaid Government letter may kindly be
communicated to Sri Sanjay Kumar Singh, Civil
Judge (Jr Div) Tanda, Ambedkar Nagar and sent
back to (present & previous services) of Sri Singh
be kept with his service records. Kindly
acknowledge the receipt.


may kindly
see the draft
and forward
it to JRCM
to issue
DKS/ksk
06/11/09
JRCM
may issue
6/11/09
AR

Enc - Copy of Government
letter dated 28.10.09
along with original service
book of U.P.Nyayik sewa and
original service book relating
to previous service of Sr Singh

Yours faithfully

Jt Joint Registrar

NO 18358 /IV-3210/ Admin A dated 22-12-09
copy forwarded to the information at no drawing
ACHA to -

- 1 - The Special Secretary, Advt. Mat. Section - Govt of U.P.
Lucknow with reference to Govt. letter dt 28-10-09 filed on
- 2 - Sri Sanjay Kumar Singh, Civil Judge (Junior Division)
Tanda, Ambedkar Nagar


Jt Joint Registrar

को सेवा पर रतनाथ
31-10-09
Encl- ये सेवा पुस्तिका

2/10

विशेष बाहक द्वारा

922 संख्या-3274/दो-4-09-23(12)/07

अवधेश कुमार सिंह राठौर,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।
सेवा में,
महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

IV 3210

42

31/10/09

Request-78

1874
30-10-09

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2009

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जू.डि.) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10403 /चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक 22-8-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजय कुमार सिंह द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 17-6-2006 को योगदान करने से पूर्व उपनिरीक्षक (ना.पु.) के पद पर दिनांक 10.9.2001 से दिनांक 16.6.2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही अवगत करा दिया जाय कि दिनांक 1.4.05 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं गृहण करेंगे।

2- श्री सिंह की पूर्व/वर्तमान सेवापुस्तिकायें संलग्नकर भेजी जा रही हैं।
संलग्नक:-सेवापुस्तिकायें (मूलरूप में)

JR(m)

Withdrawal Service Book

संख्या-3274(1)/दो-4-09-23(12)/07, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वाँ तल, उ० प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
- 5- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जू.डि.) गाजीपुर।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- गार्ड बुक हेतु।

भविदीय,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

3000/2009

आज्ञा से,

(डा० सुनील कुमार)
अनु सचिव।

Pandey
6/11/09

Request-28

विशेष वाहक द्वारा
संख्या-3274/दो-4-09-23(12)/07
31-10-09
31/10
31/10

अवधेश कुमार सिंह राठौर
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।
महा निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

1874
30-10-09

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2009

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जूडि.) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10403 /चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक 22-8-2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजय कुमार सिंह द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 17-6-2006 को योगदान करने से पूर्व उपनिरीक्षक (ना.पु.) के पद पर दिनांक 10.9.2001 से दिनांक 16.6.2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही अवगत करा दिया जाय कि दिनांक 1.4.05 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं गृहण करेंगे।

S.O. 31/10
31/10
31/10
31/10

2- श्री सिंह की पूर्व/वर्तमान सेवापुस्तिकायें संलग्नकर भेजी जा रही हैं।
संलग्नक:-सेवापुस्तिकायें (मूलरूप में)

JR(M)

भवदीय,
(अवधेश कुमार सिंह राठौर)
विशेष सचिव।

With a copy to Service Book

संख्या-3274(1)/दो-4-09-23(12)/07, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वें तल, उ० प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।
- 5- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जूडि.) गाजीपुर।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(डा० सुनील कुमार)
अगु सचिव।

Pandey
6/11/09

Scantial
1-9-09
w/o Encl.

Request 78

2/9/09

संख्या-2498/दो-4-09-23(12)/07

प्रेषक,

डा0 सुनील कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

Re:	811
File No.	17-3210
Serial No.	40

सेवा में,

संयुक्त निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

3/9/09

0

7-9-09

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2009

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू0डि0) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13131/चार-3210/एडमिन(ए), दिनांक 16-10-08 के संदर्भ में शासन के पत्र संख्या-2893/दो-4-08-23 (2)/07 दिनांक 23.12.2008 के क्रम में उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-2006/चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक 11.2.2009 एवं शासन के अन्तिम अनुस्मारक दिनांक 16.4.09 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 15.6.09 जो जिला जज गाजीपुर को सम्बोधित तथा शासन को पृष्ठांकित है की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख शासन को कृपया शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2

JR (M)
w/o Encl.

संख्या- (1)/दो-4-09-23(12)/07 तददिनांक।

प्रतिलिपि, श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू0डि0) गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

~~सुनील कुमार~~
(डा0 सुनील कुमार)
अनु सचिव।

2

12.8.AUG.2009

(डा0 सुनील कुमार)
अनु सचिव।

2

2839
S2 Admin M/10

JR (M)
31/8/09

JR (M)

Necessary action has already been taken in the matter vide court's letter dated 22.8.09. No action is required may file?

PK Srivastava
08-9-09

DK Srivastava
08-09-09

Pankaj
08-9-09

file
09/9/2009

(428)

To
The Under Secretary,
Appointment Section-4,
Government of U.P.,
38 Lucknow.

Request-78

Registered Post

No 10403 11V-3210/ Admin A dated 22.8.09

Subject - Counting of previous service of Sri
Sanjay Kumar Singh, ^{the then} Addl Civil

Judge (Junior Division), ^{Chhizi Pur, Ambikapur, Nainital}
now posted as civil judge (Junior Division), ^{Tanda, Ambikapur, Nainital}
with his present service in U.P.N.F.K
Sector.

JR(D),
may kindly
see the draft
and issue

Akshay Kumar
30.7.09
D. R. (M)

Registrar (B)
may like
to approve
to issue?

DR
31.7.09
J. R. (M)

App.
31.8.09
(for file)

Sir,
with reference to Government letter NO
673/II-4-09-23(12)167 dated 16.4.09
on the above subject, I am directed
to send herewith a copy of letter dated
03.7.09 of Sri Sanjay Kumar Singh,
Civil Judge (Junior Division), Tanda,
Ambikapur Nagar along with its enclosures
as well as original service book relating
to ^{his} previous service as ~~A.P.O~~ Sub Inspector
in Police department, and to request
you kindly to take necessary action
in the matter at an early date, under
intimation to this Court.

Yours faithfully

DR
03.8.09

Joint Registrar

Encl. Copy of letter dated
03-7-09 of Sri Sanjay Kumar
along with its enclosures
as well as original service book
relating to previous service of
Sri Singh.

39 10404
11V-3210/ Admin A dated 22.8.09
Copy forwarded for information and necessary
action to -

- 1 - The District Judge, Ambikapur Nagar with
reference to his endorsement NO. 371/ R A-
08-09 dated 04.7.09.
- 2 - Sri Sanjay Kumar Singh, Civil
Judge (Junior Division) Tanda, Ambikapur
Nagar.

DR
03.8.09

Joint Registrar

Request-28

9430

Reg. No.	3210
File No.	37
Serial No.	

15-7-09 3/17/09

21-8-09

प्रेषक
संजय कुमार सिंह
सिविल जज(जू. डि.)
टाडां, अम्बेडकरनगर

सेवा मे
माननीय महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

द्वारा
माननीय जनपद न्यायाधीश
अम्बेडकरनगर

विषय: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र सं 2006/IV-3210/ Admin(A)/Dated दिनांकित 11-2-09 के अनुक्रम मे पूर्व सेवा काल को वर्तमान सेवाकाल मे समायोजित किये जाने के संबंध मे पूर्व मे किये प्रतिवेदन के अनुक्रम मे एक दिन के सेवा को मर्षित किये जाने के संबंध मे प्रत्यावेदन विषयक

महोदय

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व मे एक प्रतिवेदन दिनांक 7-3-07 को प्रेषित किया गया था जिसके द्वारा मेरी पूर्व की सेवा अवधि को वर्तमान सेवा अवधि मे पेशान आदि लाभो के लिये समायोजित किये जाने की प्रार्थना की गई थी जिसके अनुक्रम मे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं 13131/IV-3210/ Admin(A) दिनांकित 16-10-08 द्वारा मेरी पूर्व की पुलिस विभाग की सेवा पुस्तिका को शासन को प्रेषित किया गया परंतु शासन द्वारा पुनः पूर्व की सेवा पुस्तिका को वापस कर मुझसे यह अपेक्षा की गई कि मुझे पुलिस विभाग से दिनांक 16-6-06 को पूर्वान्ह मे विमुक्त किया गया जबकि न्यायिक सेवा मे मेरे द्वारा दिनांक 17-6-06 को पूर्वान्ह मे अपना योगदान दिया गया तथा मेरी पूर्व की सेवा दिनांक 15-06-06 तक ही सत्यापित है ऐसी स्थिति मे दिनांक 16-6-06 की स्थिति को सपष्ट करते हुये उक्त अवधि कि सेवा को सत्यापित कराने अथवा उक्त तिथि को मर्षित किये जाने के संबंध मे प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई जिसके संबध मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः पत्र सं 2006/IV-3210/ Admin(A)/Dated दिनांकित 11-2-09 द्वारा शासन के पत्र सं 2893(1)/दो-4-08-23(12)/07 दिनांकित 23-12-08 का उल्लेख कर वाछितं प्रविष्टि पूर्ण कर सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।

इस संबंध मे सादर अवगत कराना है कि मुझे पुलिस विभाग से दिनांक 16-6-06 को पूर्वहान मे 10.35 A.M. पर विमुक्त किया गया तथा जनपद वाराणसी से गाजीपुर की दूरी 80 कि. मी. है। मेरे द्वारा गाजीपुर मे अपनी उपस्थिति 12.15 पर दर्ज कराई गई तथा उस समय न्यायालय प्रातः कालीन था जिसकी मुझे कोई जानकारी नही थी तथा तत्कालीन प्रभारी जिला जज द्वारा यह अभिकथन कर कि न्यायालय का समय 6.00-12.00 बजे तक ही है तथा इस समय न्यायालय बंद हो गया है मुझसे अगले दिन आने को कहा गया तथा पुनः अगले दिन मेरे द्वारा दिनांक 17-6-06 को पूर्वान्ह मे उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण किया इस प्रकार मेरे द्वारा समय से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई थी परंतु

Scantla
13-7-09
Encl-(4)
रजिस्ट्रार
415
10.7.2009

2157
S-0 Admin H/A

J.R.(m)
13-7-09

3

JR (m)

with Encl 6 page
and one service
Book

17 JUL 2009

Pankaj
23-7-09

न्यायालय प्रातः कालीन होने के कारण दिनांक 16-6-06 को मुझे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया। पूर्व की सेवा पुस्तिका में पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 16-6-06 (एक दिवस) की सेवा को पूर्वान्ह में विमुक्त किये जाने के कारण सत्यापित नहीं किया गया ऐसी स्थिति में पेशान आदि लाभों के लिये पूर्व की सेवा अवधि को वर्तमान सेवा अवधि में समायोजित किये जाने हेतु दिनांक 16-6-06 (एक दिवस) की सेवा अवधि को मर्षित किया जाना आवश्यक है जिसके सबंध में मेरे द्वारा शासन को प्रतिवेदन किया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार श्रीमानजी से विन्नम निवेदन है कि मेरी पूर्व की सेवा अवधि तथा वर्तमान सेवा अवधि के मध्य एक दिवस दिनांक 16-6-06 की सेवा अवधि को मर्षित किये जाने के सबंध में किये जा रहे प्रत्यावेदन को शासन को अग्रसारित करने की महती कृपा करे। इसके लिये मैं श्रीमानजी का सदा आभारी रहूँगा।

सादर

दिनांक : 3.7.09

संलग्नक :-

1. प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र
2. पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा निर्गत पत्र
3. जनपद न्यायाधीश, गोंजीपुर के आदेश दिनांकित 26.4.06 की कौटो प्रति
4. प्रभारी संयुक्त निबंधक का पत्र दि. 2.2.09
5. उप सचिव द्वारा 23.12.08 को प्रेषित पत्र की छाया प्रति
6. सेवा पुस्तिका मूल रूप में कायालय जनपद न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर।

भवदीय

Bim
317109

(संजय कुमार सिंह)

पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह
सिविल जज(जू. डि.) टाडा
अम्बेडकरनगर

संख्या 31/1-A-2809: अम्बेडकरनगर : दिनांक : 4 जुलाई, 2009

अग्रसारित

4/7/09
जिला न्यायाधीश,
अम्बेडकरनगर।

प्रेषक

संजय कुमार सिंह
सिविल जज(जू. डि.)
टाडां अम्बेडकरनगर

सेवा मे

प्रमुख सचिव
नियुक्ति अनुभाग-4
उ. प्र. शासन
लखनऊ

द्वारा

माननीय महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

विषय: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र सं 2006/IV-3210/ Admin(A)/Dated दिनांकित 11-2-09 के अनुक्रम मे पूर्व सेवा काल को वर्तमान सेवाकाल मे समायोजित किये जाने के सबंध मे पूर्व मे किये प्रतिवेदन के अनुक्रम मे एक दिन के सेवा को मर्षित किये जाने के सबंध मे प्रत्यावेदन विषयक

महोदय

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व मे एक प्रतिवेदन दिनांक 7-3-07 को प्रेषित किया गया था जिसके द्वारा मेरी पूर्व की सेवा अवधि को वर्तमान सेवा अवधि मे पेशान आदि लाभो के लिये समायोजित किये जाने की प्रार्थना की गई थी जिसके अनुक्रम मे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं 13131/IV-3210/ Admin(A) दिनांकित 16-10-08 द्वारा मेरी पूर्व की पुलिस विभाग की सेवा पुस्तिका को शासन को प्रेषित किया गया परंतु शासन द्वारा पुनः पूर्व की सेवा पुस्तिका को वापस कर मुझसे यह अपेक्षा की गई कि मुझे पुलिस विभाग से दिनांक 16-6-06 को पूर्वाहन मे बिमुक्त किया गया जबकि न्यायिक सेवा मे मेरे द्वारा दिनांक 17-6-06 को पूर्वाहन मे अपना योगदान दिया गया तथा मेरी पूर्व की सेवा दिनांक 15-06-06 तक ही सत्यापित है ऐसी स्थिति मे दिनांक 16-6-06 की स्थिति को सपष्ट करते हुये उक्त अवधि कि सेवा को सत्यापित कराने अथवा उक्त तिथि को मर्षित किये जाने के सबंध मे प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई जिसके सबंध मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः पत्र सं 2006/IV-3210/ Admin(A)/Dated दिनांकित 11-2-09 द्वारा शासन के पत्र सं 2893(1)/दो-4-08-23(12)/07 दिनांकित 23-12-08 का उल्लेख कर वाछितं प्रविष्टि पूर्ण कर सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।

इस सबंध मे सादर अवगत कराना है कि मुझे पुलिस विभाग से दिनांक 16-6-06 को पूर्वाहन मे 10.35 A.M. पर विमुक्त किया गया तथा जनपद वाराणसी से गाजीपुर की दूरी 80 कि. मी. है। मेरे द्वारा गाजीपुर मे अपनी उपस्थिति 12.15 पर दर्ज कराई गई तथा उस समय न्यायालय प्रातः कालीन था जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी तथा तत्कालीन प्रभारी जिला जज द्वारा यह अभिकथन कर कि न्यायालय का समय 6.00-12.00 बजे तक ही है तथा इस समय न्यायालय बंद हो गया है मुझसे अगले दिन आने को कहा गया तथा पुनः अगले दिन मेरे द्वारा दिनांक 17-6-06 को पूर्वाहन मे उपस्थित

होकर कार्यभार ग्रहण किया इस प्रकार मेरे द्वारा समय से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई थी परंतु न्यायालय प्रातः कालीन होने के कारण दिनांक 16-6-06 को मुझे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया। पूर्व की सेवा पुस्तिका में पुलिस विभाग द्वारा दिनांक 16-6-06 (एक दिवस) की सेवा को पूर्वहान में विमुक्त किये जाने के कारण सत्यापित नहीं किया गया ऐसी स्थिति में पेशान आदि लाभों के लिये पूर्व की सेवा अवधि को वर्तमान सेवा अवधि में समायोजित किये जाने हेतु दिनांक 16-6-06 (एक दिवस) की सेवा अवधि को मर्षित किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्तानुसार श्रीमानजी से विन्नम निवेदन है कि मेरी पूर्व की सेवा अवधि तथा वर्तमान सेवा अवधि के मध्य एक दिवस दिनांक 16-6-06 की सेवा अवधि को मर्षित किये जाने की अनुमति प्रदान कर प्रार्थी की पूर्व की सेवा को वर्तमान सेवा में पेशान आदि लाभों के लिये समायोजित करने की महती कृपा करे। इसके लिये मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।

सादर

दिनांक : 3.7.09

संलग्नक : मूल सेवा पुस्तिका (पूर्व की सेवा की)
तथा यथा

भवदीय

Singh
31/7/09

(संजय कुमार सिंह)

पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद सिंह
सिविल जज(जू. डि.) टाडां
अम्बेडकरनगर

Request-78


कार्यालय पुलिस उप महा निरीक्षक, वाराणसी ।
पत्र संख्या-च-22/2009 दिनांक-मई 20 2009
सेवा में,

✓ श्री संजय कुमार सिंह,
अपर सिविल जज 0 डि 0
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सदपुर, गाजीपुर ।

कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांकित 14-5-2009 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 16-6-2006 की सेवा को सत्यापित कराकर भोजने की अपेक्षा की गयी है ।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 15-6-2006 को त्याग पत्र मंजूर होने के कारण दिनांक 16-6-2006 को गाजीपुर के लिए पूर्वान्ह में प्रस्थान होने के कारण दिनांक 16-6-2006 की सेवा इस जनपद से सत्यापित किया जाना समीचीन नहीं होगा ।

संलग्न - सेवा पुस्तिका


पुलिस उप महा निरीक्षक,
वाराणसी ।

→ पु.के. विभाज हाप रिपॉर्ट 16-6-09 से सेवा सत्यापित
नए पत्रों की मांग

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर ।

Request-78

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अद्वैतात्मक पत्र संख्या-6692/मेन-पी/रडमिनर संख्या-3/दिनांकित मई 18 तन् 1985 एवं पत्र संख्या-4695/मेन-पी/रडमिनर संख्या-3/दिनांकित 12-4-2006 के अनुसार दिनांक 01-05-2006 से दिनांक 30-6-2006 तक न्यायालयों के कार्य का समय परिवर्तित करके प्रातः 6.30 बजे से 12.00 बजे दोपहर तक किया जाता है। भोजनावकाश 9.30 बजे से 10.00 बजे तक रहेगा, परन्तु कार्यालयों का समय प्रातः 6.00 बजे से 1.00 बजे दोपहर तक रहेगा ।

इस आदेश की एक-एक प्रति सिविल जज, जूडि, तैक्सुर व मुहम्मदाबाद को भेजी जाय। एक-एक प्रति सभी अधिवक्ता संघों को भी इस आशय के साथ भेजी जाय कि वे सभी सम्मानित अधिवक्तागण को यथानुसार सूचित करने का कष्ट करें तथा एक-एक प्रति जिलाधिकारी, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर एवं जेल अधीक्षक, गाजीपुर तथा एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को समचार पत्रों में जन सामान्य के सूचनार्थ प्रकाशन हेतु भेजी जावे। एक-एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायी जावे ।

अशोक कुमार चौधरी
26/4/06
अशोक कुमार चौधरी
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर ।

अशोक कुमार चौधरी
जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

अशोक कुमार चौधरी
जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

अशोक कुमार चौधरी
जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

→ पापारूप नए जून के पात्रकारी एनेयर
मादेर

Request 79

From:

1/c Joint Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Registered Post

To:

The District Judge,
Ghazipur.

No:

1V-3210/Admin (A)/Dated: Allahabad: 2009.

Subject: Counting of previous service of Sri Sanjay Kumar Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Ghazipur with his present service in U.P. Nyayik Sewa.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of Government letter no. 2893/11-4-08-23(12)/07, dated 23.12.2008 alongwith original service book relating to previous service of Sri Sanjay Kumar Singh, Additional Civil Judge(Junior Division), Ghazipur, on the above subject and to request you kindly to direct Sri Sanjay Kumar Singh Additional Civil Judge(Junior Division) Ghazipur to send requisite information/clarification as asked for in aforesaid Government letter, to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in the matter.

Yours faithfully,

Enclosure: Copy of Government letter dated 23.12.08 alongwith original service book (previous service) of Sri Sanjay Kumar Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Ghazipur.

1/c Joint Registrar.

No: 2006 1V-3210/Admin (A)/Dated: Allahabad: 11-2-2009.

Copy forwarded for information and necessary action to: -

1. The Deputy Secretary, Appointment Section-4, Government of U.P., Lucknow with reference to Government letter dated 23.12.2008 cited above.

2. Sri Sanjay Kumar Singh, Additional Civil Judge(Junior Division), Ghazipur.

An. Varm 3-2-09
1/c Joint Registrar.

02/02/09

Request-78

21/12/25

संविधान

(439)

विशेष-वाहक-द्वारा

संख्या-2893/दो-4-08-23(12)/07

मो० शफीक,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

संयुक्त निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

15-1-09
31
20-1-09

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर, 2008

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू०डि०) गाजीपुर की पूर्व
महोदय, सेवाओं की गणना।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13131/वार-3210/एडमिन(ए),
दिनांक 16-10-08 के साथ संलग्न होकर प्राप्त श्री सिंह की पुलिस विभाग की
सेवापुस्तिका को संलग्न कर वापस भेजते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है
कि श्री सिंह को पुलिस विभाग से दि० 16-6-06 को (पूर्वान्द) में विमुक्त किया
गया है, परन्तु इनके द्वारा न्यायिक सेवा में दिनांक 17-6-06(पूर्वान्द) को योगदान
दिया गया है, तथा इनकी पूर्व सेवाओं का सत्यापन 15-6-06 तक ही किया गया
है। इस प्रकार दोनों सेवाओं के मध्य दिनांक 16-6-06 (एकदिन) का व्यवधान
परिलक्षित हो रहा है।

2- अतएव उपलिखित दिनांक 16-6-06 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते
हुये उक्त दिनांक की सेवार्य सेवापुस्तिका में सत्यापित कराकर सेवापुस्तिका शासन
को कृपया शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि यह सम्भव न हो तो
उपलिखित दिनांक 16-6-06 को मर्चित करने के सम्बन्ध में संस्तुति सहित प्रस्ताव
उपलब्ध करायें।

संलग्नक:-सेवापुस्तिका (एक)

भवदीय,

(मो० शफीक)
उप सचिव।

संख्या-2893(1)/दो-4-08-23(12)/07 तददिनांक।

प्रतिलिपि, श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू०डि०) गाजीपुर
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मो० शफीक)
उप सचिव।

773

To
The District Judge,
Chazipur.

Request-73

No 357209 / IV-3210/ Admin A dated 15.6.09
Subject - counting of previous service
of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl
Civil Judge (Junior Division)
Chazipur with his present service
in U.P. Nyayik sewa.

JR(10),
may kindly
see the draft
and issue
PK Sanjay Kumar
27.5.2009
Istairpathi
20.05.09
Registrar (B)

Sir,
In continuation of Court's letter NO.
2005/ IV-3210/ Admin A dated 11.2.2009
on the above subject, I am directed
to send herewith a copy of Government
letter NO. 673/ II-4-09-23(12) / 107 dated
16.4.2009, and to request you kindly
to direct Sri Sanjay Kumar Singh,
Addl Civil Judge (Junior Division), Chazipur
to send requisite information/
clarification along with original service
book relating to previous service as
asked for in Government letter dated
23.12.08, to this Court at an early
date, so that necessary action may
be taken in the matter.

May like
to approve
to issue?

Enc - copy of Govt letter
dated 16.4.09

Yours faithfully

OP
29.5.09

Joint Registrar

28.5.09
J.R.(M)

No 7310 / IV-3210/ Admin A dated 15.6.09
Copy forwarded for information and necessary
action to -

1 - The Under Secretary, Appointment Section-4
Government of U.P. Lucknow with reference to
Government letter No. 673/ II-4-09-23(12)
/ 107 dated 16.4.09.

2 - Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil
Judge (Junior Division) Chazipur in
continuation of Court's endorsement No.
2006/ IV-3210/ Admin A dated 11.2.09.

App.
29.5.09
(M)

OP
29.5.09

Joint Registrar

Santlal
15-5-09
w.o. Encl

Request-78

संख्या-673/दो-4-09-23(12)/07

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

संयुक्त निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

5-5-09 4-06

Register No.
File No.	IV 3210
Serial No.	54

1959 23-5-09

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2009

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू०डि०) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13131/चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक 16-10-08 के संदर्भ में शासन के पत्र संख्या-2893/दो-4-08-23 (2)/07 दिनांक 23.12.2008 के क्रम में उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-2006/चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक 11.2.2009 जो जिला जज गाजीपुर को सम्बोधित तथा शासन को पृष्ठांकित है की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख शासन को कृपया शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-673(1)/दो-4-09-23(12)/07 तददिनांक।

प्रतिलिपि, श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू०डि०) गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(4)

JR (m)

w.o. Encl

(विनोद कुमार सिंह)
अनु सचिव।

So. Adm. H/A

J.R. (m)

13-5-09

Si. Pankaj

25-5-09

To.
The District Judge
Ghazipur

Registered Post
Request-78

³³
NO 2005 IV-3210/ Admin A dated 11-2-09,
Subject- Counting of previous service of Sri
Sanjay Kumar Singh, Addl Civil
Judge (Junior Division), Ghazipur
with his present service in U.P. Nyaya
Sewa

Sir,
I am directed to send herewith a copy
of Government letter NO. 2893/II-4-08-23(12)
dated 23-12-2008 along with original
service book relating to previous service
of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil
Judge (Junior Division), Ghazipur, on the
above subject and to request you
kindly to direct Sri Sanjay Kumar Singh
Addl Civil Judge (Junior Division) Ghazipur
to send requisite information / certifica-
tion as asked for in aforesaid Govern-
ment letter, to this court at an early
date, so that necessary action may
be taken in the matter.

Encd- Copy of Govt letter
dated 23-12-08 along with
original service book (Daxias Kanta)
of Sri Sanjay Kumar Singh Addl
Civil Judge (Jr. Div) Ghazipur

Yours faithfully

AK Varm
29.1.09

NO 2006 IV-3210/ Admin A dated 11-2-09,
Copy forwarded for information and necessary
action to -

- 1- The Deputy Secretary, Appointment Secretary
Government of U.P. Lucknow with reference to Govern-
ment letter dated 23-12-08 cited above
- 2- Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil Judge
(Junior Division) Ghazipur

AK Varm
29.1.09

The Joint Registrar

JB(10)
may kindly
see the draft
and issue
Prsaisankar
27.1.09
~~Atyath~~
27.1.09

Santlal
13-1-09
Encl-200
सफ़िक

R 78744
9-1-09
(438)

रजिस्ट्रार

Request-78

विशेष वाहक द्वारा

संख्या-2893/दो-4-08-23(12)/07

प्र

मो० शफीक,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

संयुक्त निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

15.1.09

Register no.	24
File no.	IV/3210
Serial no.	31

3/1/09
20-1-09

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर, 2008

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू०डि०) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13131/चार-3210/एडमिन(ए), दिनांक 16-10-08 के साथ संलग्न होकर प्राप्त श्री सिंह की पुलिस विभाग की सेवापुस्तिका को संलग्न कर वापस भेजते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सिंह को पुलिस विभाग से दि० 16-6-06 को (पूर्वान्ह) में विमुक्त किया गया है, परन्तु इनके द्वारा न्यायिक सेवा में दिनांक 17-6-06(पूर्वान्ह) को योगदान दिया गया है, तथा इनकी पूर्व सेवाओं का सत्यापन 15-6-06 तक ही किया गया है। इस प्रकार दोनों सेवाओं के मध्य दिनांक 16-6-06 (एकदिन) का व्यवधान परिलक्षित हो रहा है।

2- अतएव उपलिखित दिनांक 16-6-06 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये उक्त दिनांक की सेवार्य सेवापुस्तिका में सत्यापित कराकर सेवापुस्तिका शासन को कृपया शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि यह सम्भव न हो तो उपलिखित दिनांक 16-6-06 को मर्षित करने के सम्बन्ध में संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

संलग्नक:-सेवापुस्तिका (एक)

भवदीय,

(मो० शफीक)
उप सचिव।

संख्या-2893(1)/दो-4-08-23(12)/07तददिनांक।

प्रतिलिपि, श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू०डि०) गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(31)
J.R.(m)
10/1/09

6090
JAN 2009

(मो० शफीक)
उप सचिव।

55
So Adms H/1A

J.R.(m)
13-1-09

Pankaj
21-1-09

1566

O/C

By Registered Post

Request-78

To
The Under Secretary,
Appointment Section-4,
Government of U.P.,

29 Lucknow.

NO 13131 /IV-3210/Admn A dated 16-10-08
Subject - Counting of previous service of Sri
Sanjay Kumar Singh, Addl Civil
Judge (Junior Division), Charapur
with his present service in U.P.
Nyayik sewa.

JRM/
may kindly
see the
draft and
issue
DKS/RS/KRS
12.9.08
Charapur
19.9.08

Sir, with reference to Government letter NO.
1108/II-4-08-23(12)/2008 dated 11-6-2008
on the above subject, I am directed to
send herewith a copy of letter NO 373/L dated
08.9.2008 of the District Judge, Charapur
along with original service book relating
to previous service as A.P.O and original
service book of U.P Nyayik sewa of Sri
Sanjay Kumar Singh, Addl Civil Judge
(Junior Division), Charapur and to reg-
-uest you kindly to take necessary action
in the matter at an early date, under
intimation to this court. Kindly acknow-
ledge the receipt

Yours faithfully

19.9.08

Joint Registrar

Encl - original service book
(previous service) of Sri Singh
original service book of
U.P Nyayik sewa of Sri Singh

may like
to approve
to issue?

19.9.08
J.R.(M)

Approved
19/9/08

NO 13132 /IV-3210/ Admn A dated 16-10-08
copy forwarded for information and necessary
action to -

- 1 - The District Judge, Charapur with reference
to his letter NO. 373/L dated 08.9.2008
- 2 - Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil Judge
(Junior Division) Charapur

19.9.08

Joint Registrar

पंजीकृत

Request-28

Reg. No.	14878
File No.	IV/3210
Serial No.	27

Santlal
10-9-08
② फाइल सेवा पुस्तिका

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश, 19910

गाजीपुरा

12-9-08

सेवा में,

श्री बेधे लाल,
संयुक्त निबन्धक,

16-9-08

माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

पत्रांक- 873/1

दिनांक- 08.09.08

विषय: माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0-5125/चार-3210/एडमिन।ए।, दिनांकित 19-4-2008 के अन्तर्गत श्री संजय कुमार सिंह द्वितीय अपर सिविल जज जू01ड01, गाजीपुर के सेवा पुस्तिका के प्रेषण के सम्बन्ध में,

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-5125/चार-3210/एडमिन।ए।, दिनांकित 19-4-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

श्री संजय कुमार सिंह की सेवा पुस्तिका इस अधिष्ठात्र की , संशोधित व सत्यापित करके भेजा जा रही है।

श्री संजय कुमार सिंह ने अपनी पूर्व सेवा की सेवा पुस्तिका सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया है, वह भी साथ में भेजी जा रही है।

कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न - सेवा पुस्तिका - 2 अड्ड
श्री संजय कुमार सिंह,

भवदीय,

[Signature]
4-9-08

जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर

S.O. Admin H/A
J.R(m)
10-9-08

[Signature]
13-9-08

Received
25/01/20

Request-28

प्रेषक
संजय कुमार सिंह
अपर सिविल जज (जू. डि.)
कोर्ट न. 2 गाजीपुर

सेवा मे
जनपद न्यायाधीश महोदय
गाजीपुर

विषय: न्यायिक सेवा के पूर्व की सेवा सत्यापन कराये जाने के संबंध मे

महोदय.

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं. 5125/ चार- 3210/ प्रशासन ए दिनांकित 19-4-2008 द्वारा मेरी पूर्व की सेवा पुस्तिका शासन के पत्र दिनांकित 25-3-08 के अनुक्रम मे उल्लिखित प्रस्तर 2 व 3 के संबंध मे अपनी आख्या सहित व सेवाये सत्यापित कराने हेतु सुपुर्द की गई थी, जिसके अनुपालन मे प्रस्तर 2 के संबंध मे अवगत कराना है कि मेरे द्वारा पुलिस विभाग से अपनी पूर्व की सेवाये दिनांक 10-9-01 से 7-01-05 तक सत्यापित कराई गई है जिनका इंड्राज सेवा पुस्तिका मे कर दिया गया है जबकि प्रस्तर 3 के सबध मे अवगत कराना है कि सेवा पुस्तिका मे त्याग पत्र मंजूर किये जाने की तिथि 15-06-06 अंकित है यद्यपि मुझे अंतिम रूप से समस्त औपचारिकताये पूर्ण करने के पश्चात पुलिस लाईन वाराणसी से दिनांक 16-06-06 को पूर्वाहन मे अवमुक्त किया गया जिसके सबंध मे कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के हिन्दी आदेश पुस्तिका दिनांक 23-06-2006 का उद्धरण सेवा पुस्तिका मे चस्पा किया गया है।

अतः श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि मेरी पूर्व व वर्तमान की सेवा पुस्तिका को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद संदर्भित करने की कृपा करे ।

सादर

भवदीय
Sanjay Kumar
25/01/20
(संजय कुमार सिंह)
अपर सिविल जज (जू डि)
कोर्ट न. 2 गाजीपुर

To
The District Judge
Ghaziabad

O/C

Registered post
Request-78


No^m 9447 / IV-3210 / Admin A dated 5-8-08

Subject - Counting of previous service of
Sri Sanjay Kumar Singh, Addl
Civil Judge (Junior Division), Ghaziabad
with his present service in U.P.
Nyayik sewa.

Sir

I am directed to refer to court's letter
No 5125 / IV-3210 / Admin A dated 19.4.08
(copy enclosed) on the above subject
and to request you kindly to send req-
uisite information and also get the service
verification^{done} in his previous service book
as well as present service book as
desired by Government in his letter dated
25.3.08 and send the same to this court
at an early date, for onward transmission
to the Government for necessary action
in the matter

Encl - as above

Yours faithfully

23.7.08
Jaijit Registrar

25
No 9448 / IV-3210 / Admin A dated 5-8-08.
Copy forwarded for information and necessary
action to

1. The Under Secretary, Appointment Section-4
Government of U.P. Lucknow with reference
to Govt letter No. 1108 / II-4-08-23 (12) / 2007 dated
11.6.2008
2. Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil
Judge (Junior Division) Ghaziabad


23.7.08

Jaijit Registrar

JR (M)

may kindly
see the draft
and issue
PKS/vastava
22.7.08
Atampattu
22.7.08

Regi

Request-78

0/81708

संख्या-1106/दो-4-08-23(12)/2007

प्रेषक,
यतीन्द्र मोहन,
अनु सचिव,
उ०प० शासन।

सेवा में,
संयुक्त निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

647
10/3210
23
10/7-3/14/7/08
8/18-4-08

16/7/08
1 Aug

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 11 जून, 2008

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू०डि०) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5126/चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक 19-4-08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पूर्व पत्र संख्या-1106/दो-4-08-23(12)/07 दिनांक 25-3-08 द्वारा यथापेक्षित सूचना/अभिलेख शासन को कृपया शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सवदीय,
(यतीन्द्र मोहन)
अनुसचिव।

संख्या-1106(1)/दो-4-08-23(12)/2007, तददिनांक।
प्रतिलिपि, श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू०डि०) गाजीपुर, को सूचनार्थ पेषित।

आज्ञा से,
(यतीन्द्र मोहन)
अनुसचिव।

17
J.R.M

J

25/7/08

So. Adm. M/A

Secy
J.R.M.
09-7-08

Su. Pantaj
21-7-08

Registered post


Request-78

To
The District Judge
Ghazipur

21
NO 5125 /IV- 3210 /Admin A dated 19.4.08
Subject - counting of previous service of Sri
Sanjay Kumar Singh, Addl Civil
Judge (Junior Division), Ghazipur with
his present service in U.P. Nyayik
sewa

Sir

I am directed to send herewith a copy
of Government letter NO. 484/II-4-08-23
(12)/2007 dated 25-3-08 along with
original service book relating to previous service
and a U.P. Nyayik sewa of Sri Sanjay Kumar
Singh, Addl Civil Judge (Junior Division)
Ghazipur on the above subject and to
request you kindly to direct the Sri Sanjay
Kumar Singh, Addl Civil Judge (Junior Division)
Ghazipur to send ^{the point where} requisite information
and also get the service verification ^{done} in his
~~service books~~ ^{service book} ~~and~~ previous ^{as well as} present service
books as desired by the Government in ~~the~~ ^{the} ~~the~~
~~Government~~ letter dated 25.3.08 cited
above, ^{and send the same} to this Court at an early date
for onward transmission to the Government for
necessary action ~~thereon~~ in the matter.


Yours faithfully

15.4.08
Joint Registrar

Encl - I copy of Court letter
dated 25-3-08

- (ii) original service book
of previous service
- (iii) original service book of
U.P. Nyayik sewa

22
NO 5126 /IV- 3210 /Admin A dated 19.4.08
Copy forwarded for information and necessary
action to -

1. The Under Secretary, Appointment Section-4, Govern-
ment of U.P. Lucknow with reference to Court letter
dated 25-3-08 cited above
2. Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil Judge
(Junior Division), Ghazipur


15.4.08
Joint Registrar

JR(10)

may kindly
see the draft
and issue
As Srivastava

11-4-08

~~11-4-08~~
11-4-08

श्री संजय कुमार सिंह (2)
2-4-08

Request-98

विशेष वाहक द्वारा
संख्या-484/दो-4-08-23(12)/2007

2-4-08 प्रेषक.

यतीन्द्र मोहन,
अनु सचिव,
उ० प्र० शासन।

333
IV/3210
20
12/4/08
3/3/08

75
2-4-2008

सेवा में,

संयुक्त निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2008

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू०डि०) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2340/चार-3210/एडमिन (ए) दिनांक 16-2-08 के साथ संलग्न होकर प्राप्त श्री सिंह की पूर्व/वर्तमान सेवापुस्तिकाओं को वापस भेजते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें:-

- 1- न्यायिक सेवा में नियुक्ति का दिनांक 17-6-2006 अंकित है जब कि सेवार्ये 17-6-07 से सत्यापित की गई हैं?
- 2- पूर्व सेवा में नियुक्ति का दिनांक 10-9-2001 अंकित है और रोजगार 8-1-05 से सत्यापित हैं?
- 3- पूर्व सेवापुस्तिका में त्याग पत्र मंजूर किये जाने की तिथि 19-5-06 अंकित है और न्यायिक सेवा में योगदान दिनांक 17-6-06 अंकित है? यह किस प्रकार सही है।

अतएव अनुरोध है कि कृपया उपरलिखित कमियों का सेवापुस्तिकाओं में निराकरण कराकर सेवापुस्तिकायें अपनी संस्तुति सहित शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-सेवापुस्तिकायें(मूलरूपमें)
(पूर्व/वर्तमान)

JRCM
with Encl two
for Service Book
12 April 2008

11-4-08

मुख्य,
2/11
(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव
2

संख्या-484/दो-4-08-23(12)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज(जू०डि०) गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से.

So. Dama H/A

(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव

J. R. (M)
02-04-08

To

Registrar post

Request-78

The Under Secretary
Appointment Section-4
Government of U.P.
Lucknow

No ¹⁸ 2340 / IV-3210 / Adm A dated 16.2.08

Subject Counting of previous service of
Sri Sanjay Kumar Singh, Adal
Civil Judge (Junior Division), Gharipur
with his present service in U.P Nyayik
sewa.

Sir

With reference to Government letter NO.
4773 / II-4-07-23(12) / 2007 dated 16-11-2007
on the above subject I am directed
to send herewith a copy of letter NO 5310
dated 17-1-08 of District Judge, Gharipur
along with original service book relating
to previous ^{posting} as Sub-Inspector in Police department
and original service book of U.P Nyayik
sewa of Sri Sanjay Kumar Singh, Adal
Civil Judge (Junior Division), Gharipur
and to request you kindly to take
necessary action in the matter at an
early date, under intimation to this
Court. Kindly acknowledge the receipt

Yours faithfully

[Signature]
20.01.08.

Assistant Registrar

Encl. 2 copy of letter
dated 17.1.08 of District Judge

I original service book of
previous service

II original service book of
U.P Nyayik sewa

19

No 2341 / IV-3210 / Adm A dated 16.2.08
Copy forwarded for information and necessary
action to -

1. The District Judge, Gharipur with reference
to his letter dated 17-1-08 cited above
2. Sri Sanjay Kumar Singh, Adal Civil Judge
(Junior Division) Gharipur

[Signature]
20.01.08.

Assistant Registrar

AR(10)

may kindly
see the draft
and issue

PK Srivastava

29-1-08

[Signature]
29-1-08

Registrar (B)

Submitted for
kind perusal &
approval for
issue?

[Signature]

29.01.08

AR(M)

AR

20.01.08

S.O. Adm A-IV

[Signature]

20.01.08
AR(M)

पंजीकृत

Request-78

21-1-08

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर ।

सेवा में,

श्री प्रेम चन्द्र,
सहायक निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

Register No. 106
File No. IV/3210
Serial No. 17
22-1-08
3
22/1/08

पत्रांक सं०- 53/E

/दिनांक- 17.01.08

विषय- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज जू०डि०, न्यायालय सं०-2, गाजीपुर के पुलिस सेवा एवं न्यायक सेवा संबंधित मूल सेवा पुस्तिका के प्रेषण संबंधी ।

S.O. Admin/H/A महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आप अपने पत्र सं०-8656/गार-3210/एडमिन।र।, दिनांकित 15/12/2007 का सन्दर्भ ग्रहण करें ।

आपके पत्र के अनुपालन में श्री संजय कुमार सिंह, द्वितीय अपर सिविल जज जू०डि०, गाजीपुर द्वारा पूर्व में पुलिस सेवा एवं वर्तमान में न्यायिक सेवा से संबंधित सेवा पुस्तिकाओं का प्रेषण करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्राप्ति स्वीकार करें ।

संलग्नक :-

1- सेवा पुस्तिका मूल रूप में-दो अदद ।

भवदीय,
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर
17.1.08

S. A. K. S.
21-1-08


To
The District Judge
Ghaziपुर

Request-22

NO ¹⁵/18656/IV-3210/Admin A dated 15-12-07
Subject - Counting of previous service of
Sri Sanjay Kumar Singh, Addl
Civil Judge (Junior Division), Ghaziपुर
with his present service in U.P. Nyay-
yuk Sewa


Sir
In continuation of Court's letter NO. 16611/IV
3210/Admin A dated 02-11-2007 on the above
subject I am directed to send herewith
a copy of Government letter NO. 4773/II-4-07
-23(12)/2007 dated 16-11-2007 and to
request you kindly to send original
service ^{book} of U.P. Nyayik Sewa of Sri Sanjay
Kumar Singh, Addl Civil Judge (Junior
Division), Ghaziपुर to this Court at an early
date for onward transmission to the Govern-
ment of U.P. for further necessary action in
the matter.


Encl - as above

Yours faithfully,

Assistant Registrar

1/0
NO 18657/IV-3210/Admin A dated 15-12-07
Copy forwarded for information and neces-
sary action to -

1. The Under Secretary, Appointment Section-4
Government of U.P. Lucknow with reference to
Government letter dated 16-11-2007 cited above
2. Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil Judge
(Junior Division) Ghaziपुर with the request
kindly to arrange the service book relating
to his previous service as Sub Inspector
in Police department and send it to this
Court at an early date for onward transmi-
ssion to the Government of U.P. for taking
necessary action in the above matter.


Assistant Registrar

AD (10)
may kindly
see herewith
and issue
DKSaini
06-12-07

6-12-07

Issue
07/12

Request 78

28-11-07

संख्या-4773/दो-4-07-23(12)/2007

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सिद्धान्बंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

1054

IV/3210
28-11-07
30/11/07
1-12-07
29-11-07

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक:: 16 नवम्बर, 2007

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू0 डि0) गाजीपुर की
पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16612/चार-3210/एडमिन(ए) दिनांक-
02.11.07 जो जिला जज, गाजीपुर को सम्बोधित तथा शासन को पृष्ठांकित है की
ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण
में वॉछित सूचना/अभिलेख शासन को कृपया शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

So Admin H/A

For
I/C D.R.(M)

भावदीय,

(यतीन्द्र मोहन)

अनु सचिव

संख्या-4773(1)/दो-4-2007, तददिनांक

27-11-07 प्रतिलिपि, श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू0 डि0) गाजीपुर को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)

अनुसचिव।

①

A.R.(M)
W.O. C.H.

28 NOV 2007

Pankaj

3-12-07

To
The District Judge
Ghazipur

Registered post
Request-73

No 16611 / IV-3210 / Admin A dated 2.11.07
12
Subject - Counting of previous service of
Sri Sanjay Kumar Singh, Addl
Civil Judge (Junior Division), Ghazipur
with his present service in U.P Nyayik
Sewa

Sir

I am directed to send herewith a copy
of Government letter NO. 3333 / II-4-07-23(12)
/2007 dated 03-9-2007 on the above
subject and to request you kindly to
send original service book of U.P Nyayik
Sewa of Sri Sanjay Kumar Singh, Addl
Civil Judge (Junior Division), Ghazipur
to this Court at an early date, for onward
transmission to the Government of U.P.
for further necessary action in the matter

AD (10)

may kindly
see the draft
and issue


PK Srikumar
06-10-07

Sumit
6-10-07

Jesse
06/10/07

Enc - as above

Yours faithfully




Assistant Registrar

13

No 16612 / IV-3210 / Admin A dated 2.11.07
Copy forwarded for information and neces-
sary action to -

1. The Under Secretary, Appointment Section-4
Government of U.P. Lucknow with reference
to Government letter NO. 3333 / II-4-07-23(12)
/2007 dated 03-9-2007
2. Sri Sanjay Kumar Singh, Addl Civil
Judge (Junior Division) Ghazipur with the
request kindly to arrange the service book
relating to ^{his} previous service of as SubInspector
in Police department and send it to this Court
at an early date for onward transmission
to the Government of U.P. for taking
necessary action in the above matter



Assistant Registrar

890

IV/3210

Request-78

संख्या-3333/दो-4-07-23(12)/2007

29.9.07

3/10/07

4-10-7

1-10-07

3
29-9-07

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सहायक निबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक:: 03 सितम्बर, 2007

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जू0 डि0) गाजीपुर की पूर्व सेवाओं की गणना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10238/चार-3210/एडमिन (ए) दिनांक-1.8.07 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सिंह की पूर्व एवं वर्तमान सेवाओं की सेवापुस्तिकाएँ, सेवाओं के सत्यापन तथा अपनी संस्तुति सहित, शासन को कृपया शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6
A.R (m)

भवदीय,
2/10/07
(यतीन्द्र मोहन)
अनुसचिव

संख्या-3333(1)/दो-4-07-23(12)/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि, श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज, (जू0 डि0) गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

128 SEP 2007

आज्ञा से,
(यतीन्द्र मोहन)
अनु सचिव

S.O. Admin n/A

A.R.

29.9.07

Pankaj
5-10-07